खण्ड-130, अंक-2
सोमवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(22 फरवरी, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 130 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ फरवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ३ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार , श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण , श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिनहा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महामूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजजोलाल, श्री
मिहरवानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

माल की अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*१—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यपाल महोदय के उस आर्डिनेंस की अवधि क्या है जिसके द्वारा धारा ५९, ऐक्ट १७, सन् १९३९ ई० के मुकदमात विवाद कारण (Cause of action) ३० जून, १९५२ या उसके पूर्व का होने पर माल की अदालतों में दायर हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—ऐसा कोई आर्डिनेंस जारी नहीं किया गया, परन्तु १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी, विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४२ के अधीन उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा २६ अगस्त, १९५२ ई० को जारी की गई जिसके द्वारा १९३९ ई० के ऐक्ट १७ की धारा ५९ के मुकदमात, विवाद कारण, (Cause of action) ३० जून, १९५२ ई० या उसके पूर्व का होने पर, माल की अदालतों में दायर हो सकते हैं। ऐसे मुकदमों के दायर होने की अवधि निश्चित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*२—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माल मंत्री को यह विदित है कि उक्त आर्डिनेंस के कारण बहुत से Collusive suits दायर हो रहे हैं, जिनके द्वारा ग्राम समाजों की भूमि अवांछनीय लोगों के कब्जे में चली जा रही है।

श्री चरण सिंह—इस किस्म की कुछ शिकायतें जरूर मिली हैं। इन्हीं शिकायतों की बुनियाद पर यह मामला विचाराधीन हुआ है।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह आज्ञा जारी की गयी उस वक्त सरकार का इरादा क्या और कोई अवधि निश्चित करने का नहीं था ?

श्री चरण सिंह— जी नहीं था।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस आज्ञा के बाद कुल कितने दफा ५९ के मुकदमात दायर हुये थे और उन में से कितने केसेज हो गये और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या सरकार उन जमीनों की वापसी के लिए जो इस आज्ञा का दुरुपयोग करके हस्तगत की गयी हैं, कोई आज्ञा जारी करने, कोई संशोधन या कोई बिल इस सदन के सामने लाने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

*३-४—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[२६ फरवरी, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

तहसील, स्वार जिला रामपुर में चूहों से फसलों को हानि

*५—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले की तहसील स्वार के पूर्वीय तथा पश्चिमीय भागों में पिछले वर्ष से जंगली चूहों की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण पिछली रबी और तरबूज, खरबूजों की फस्लों को भारी हानि पहुंची है तथा वर्तमान खरीफ की फस्ल में धान, मक्का तथा मिर्च के खेतों को भी हानि हो रही है?

श्री चरण सिंह—गत साढ़े तीन वर्षों से जब से रामपुर जिला उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ है इस जिले की स्वार तहसील से चूहों द्वारा फसलों को की गई हानि की कोई सूचना नहीं मिली। वर्तमान खरीफ की फसल में भी चूहों द्वारा की गई हानि के बारे में इस तहसील से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

*६—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस हानि को रोकने के लिये अब तक सम्बन्धित विभागों की ओर से क्या उपाय किये गये हैं तथा आगे क्या किये जाने की योजना है?

श्री चरण सिंह—पिछले ६ वर्षों में कृषि रक्षा सेवा द्वारा उत्तर प्रदेश के ३६ जिलों में जिसमें रामपुर जिला भी शामिल है चूहे नष्ट करने का कार्य किया गया और १६,५६२ एकड़ क्षेत्रफल में ४,९७,२७६ चूहों के बिलों में विषैला चारा या धूनी देकर उनको नष्ट किया गया।

इस सम्बन्ध में किसानों को चूहों को नष्ट करने की विधियों से परिचित कराने के हेतु कई पत्रिकायें छापीं गईं और उनका वितरण किया गया। कृषि रक्षा सेवा के कर्मचारियों ने प्रदेश की अनेकों प्रदर्शनियों में भाग लेकर चूहों के नष्ट करने की विधियां बतलाईं। प्रदेश के भिन्न २ विभागों के कर्मचारियों को भी चूहा विनाशक कार्य की शिक्षा दी गई।

चूहे नष्ट करने का कार्य आगामी वर्षों में भी इसी प्रकार चालू रहेगा। इसके अतिरिक्त सरकार इस कार्य की ओर विशेष ध्यान दे रही है और चूहे के नष्ट करने में कुछ अनुसंधान तथा उनको बड़े पैमाने पर नष्ट करने की आयोजना भी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस साल में कितने चूहे सरकार ने मारे होंगे?

श्री चरण सिंह—चूहों के बिलों की तादाद है, उनमें चूहे कितने थे यह नहीं कहा जा सकता।

जौनपुर जिले में हरिजन लेखपाल

*७—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को सुरक्षित सीट के अनुसार लेखपालों में रक्खा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)---इस जिले में २०३ नये लेखपाल रक्खे गये हैं उनमें २० हरिजन तथा २६ पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार हैं और हर तहसील में सुरक्षित सीट के अनुसार रक्खे गये हैं जिसका विवरण निम्नलिखित है :---

नाम तहसील		नियुक्त नये लेखपाल	हरिजन	पिछड़ी जातियां
१---जौनपुर	..	३०	३	३
२---मडियहूं	..	५७	६	६
३---शाहगंज	..	३४	३	६
४---मछली शहर	..	२०	२	०
५---केराकत	..	६२	६	८
योग जिला	..	२०३	२०	२६

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लेखपाल कार्य कर रहे हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अभी जितने नियुक्त हुए हैं, सभी करते होंगे। अगर कोई अलग किया गया हो तो उसके लिये सूचना चाहिए।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--- क्या वजीर साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति में किन किन जातियों को शुमार करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि इसकी फेहरिस्त कई दफा बता दी गई है और छपी हुई है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सब हरिजन पटवारियान परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं ?

श्री चरण सिंह---जो नये लेखपाल भरती हुये थे उनके लिए यह लाजिमी नहीं था कि पटवारियान की परीक्षा उन्होंने पास की हो।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार नये आदमियों को ट्रेन करने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, उनको ट्रेनिंग दी जाने की योजना है लेकिन जैसी पूरी ट्रेनिंग पटवारियान स्कूल में साल भर तक दी जाती थी, उस तरह की ट्रेनिंग देना तो मुमकिन नहीं होगा।

*८-९---श्री बाबूनन्दन---[वापस लिये गये।]

*१०---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---[९ अप्रैल, १९५३ के लिये प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कुमाऊं डिवीज़न में भूमि सम्बन्धी ग़लत इन्दराजों के सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था

*११---श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने कुमाऊं डिवीजन में भूमि व्यवस्था सुधार व जमींदार उन्मूलन के सम्बन्ध में कोई विभागीय कमेटी नियुक्त की थी ? अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त कमेटी ने क्या सिफारिशें कीं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१२---श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिरतानों के नामों के ठीक इन्दराज के हेतु कुमाऊं डिवीजन में क्या व्यवस्था है?

श्री चरण सिंह---कुमायूं में सिरतानों के नामों के इन्दराज की उचित व्यवस्था करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जिस प्रकार से गढ़वाल में सेटिलमेंट हुआ है, क्या सरकार अलमोड़ा और नैनीताल के जिले में भी सेटिलमेंट करवाने जा रही है?

श्री चरण सिंह---नहीं जा रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--- क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं डिवीजन में जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है?

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट ने कोई कमेटी तो मुकर्रर नहीं की थी बल्कि एक अफसर को इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया था। उन्होंने बहुत लम्बी चौड़ी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है और इस प्रश्न पर भी विचार हो रहा है कि आया कोई प्रलिमिनरी लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता है या नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार को मालूम है कि कुमायूं जमींदारी उन्मूलन का विचार सरकार सन् ३७ से कर रही है?

श्री चरण सिंह--- मुझे सन् ३७ का तो मालूम नहीं है कि क्या उस वक्त सरकार के दिमाग में बात थी लेकिन मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सवाल से यह ध्वनि निकलती है कि वहां जमींदारी की कोई समस्या है जो बड़ी समस्या है, तो यह बात गलत है। वहां कोई भी जमींदारी की समस्या नहीं है। केवल ४, ५ फीसदी जमीन सिरतानों के कब्जे में है, जहां तक उनका ताल्लुक है जमींदारी खतम करने न करने का प्रश्न है लेकिन वहां जमीन भी बहुत थोड़ी-थोड़ी है, रेकार्ड्स में भी बड़ी खराबी है और जमींदारी खतम की जाय तो किस प्रकार से की जाय, यह बहुत गम्भीर मामला है। दूसरे सूबों में इस सिलसिले में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उसे जानने की कोशिश कर रही है लेकिन जैसा मैंने कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में कोई इब्तदाई कानून इस सिलसिले में बनाना आवश्यक है या नहीं इस पर विचार हो रहा है। माननीय उपाध्याय जी ने जो समझा कि एबालिशन बिल आने वाला है तो उसके लिये मैंने बतलाया कि उसके ऊपर विचार हो रहा है। एबालिशन बिल हो या न हो, उसकी क्या शक्ल हो यह तो बाद की बात है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--- क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इस जमींदारी उन्मूलन बिल को लाने के लिये सरकार वहां के बार और वहां की जनता की राय जानने के लिये कोई इरादा रखती है?

श्री चरणसिंह---जो विशेषाधिकारी मुकर्रर हुये थे उन्होंने बार असोसियेशन से भी मशविरा किया था, इसलिए बार की दोबारा राय मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक जनता के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है तो जिला कांग्रेस कमेटी और दूसरी जो सार्वजनिक सभायें हैं उनके विचार इस सिलसिले में गवर्नमेंट को कुछ हद तक

मालूम हैं। इसके अलावा जो जनता के प्रतिनिधि विधान सभा में हैं उनकी राय से भी गवर्नमेंट मुस्तफीद होने की कोशिश करेगी जब यह मसला गवर्नमेंट के कंसोडरेशन में आयेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमायूं डिवीजन में कच्चे खैकरों और सिरतानों को आजकल जमींदारों द्वारा बेदखल किया जा रहा है?

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट पहुंची है कि खैकरों और हिस्सेदारों के जरिये कहीं-कहीं सिरतानों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही यह भी पहुंची है कि कहीं-कहीं जो सिरतान जबरदस्त हैं वे इकट्ठा हो जाते हैं और वह लगान भी नहीं दे रहे हैं और कहीं कहीं वे हिस्सेदारों के हक को भी नहीं मान रहे हैं। तो दोनों तरह की शिकायतें हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या सरकार को मालूम है कि कुमायूं डिवीजन में जगह जगह सिरतानों और कच्चे खैकरों से जमींदारों के झगड़े हो रहे हैं और बहुत से मुकदमे चालान हुये हैं?

श्री चरण सिंह---जगह-जगह नहीं। बहुत कम शिकायतें आई हैं और कितने मुकदमे दायर हुये हैं इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है अगर कोई दायर हुये हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार उन सिरतानों की, जिनको जमींदार लोग अब बेदखल कर रहे हैं, बेदखली को रोकने का कोई इंतिजाम करेगी?

श्री चरण सिंह---मैं तो जवाब दे चुका हूं, उसके बाद फिर यह सवाल नहीं उठता।

जिला देवरिया में कसया---तमकुही रोड का टेस्ट वर्क रूप में निर्माण

*१३---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला देवरिया में कसया-तमकुही रोड बनवाने का निश्चय जिलाधीश द्वारा किया गया था?

श्री चरण सिंह---कसया-तमकुही रोड के एक अंश कसया-बमरौली रोड के बनाने का निश्चय जिलाधीश द्वारा किया गया था।

*१४---श्री रामसुभग वर्मा---क्या टेस्ट वर्क के काम उस सड़क पर शुरू हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरण सिंह---उक्त कसया-बमरौली रोड पर निर्माण कार्य अगस्त ५२ से प्रारम्भ होकर नवम्बर सन् ५२ तक चला, जिसमें ४ मील १ फर्लांग तक सड़क पर मिट्टी भराई का कार्य सम्पन्न हुआ और १५,८९५ रु० ६ आ० ९ पा० व्यय हुआ। तदनन्तर श्रमिकों के अभाव से कार्य समाप्त कर दिया गया।

पुनः मार्च, १९५३ तथा जून, १९५३ में दो बार टेस्ट वर्क चलाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु श्रमिक काम पर न आये। अतः कुछ भी कार्य न हो सका और टेस्ट वर्क बन्द कर देना पड़ा।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या यह सही है कि पुनः काम कराने के लिए श्रमिकों को सूचना नहीं दी गई?

श्री चरण सिंह—काम कराने की आम सूचना सब को मिल गई थी। जिनको काम की जरूरत होती है, वह तो खुद सूचना प्राप्त करते फिरते हैं। यह थोड़े ही है कि हर एक के घर नोटिस भेजी जाय ?

श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार सड़क पर फिर काम शुरू कराने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—जिलाधीश को आम आदेश हैं कि जब जहां जरूरत समझें टेस्ट वर्क्स वहां आरम्भ कर दें।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरी का निर्ख उन्होंने टेस्ट वर्क्स में क्या रखा है ?

श्री चरण सिंह—पुरुष के लिए सस्ते से सस्ते अन्न का दाम, स्त्री के लिए २० छटांक अन्न के दाम और चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए १६ छटांक अन्न के दाम।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—यह अनाज गेहूं है, चावल है या मोटा अनाज।

श्री चरण सिंह—सस्ते से सस्ता अनाज।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या यह सत्य है कि ये टेस्ट वर्क्स क्वार और कार्तिक के महीनों में आरम्भ किये गये थे जिससे वहां आदमी न आ सकें ?

श्री चरण सिंह—उत्तर में तारीखें दे दी गई हैं। मेरे लायक मोस्त ने जो पूछा वह बिलकुल सही नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४ छटांक, २० छटांक और १६ छटांक जो गल्ला दिया जाता है तो उनसे कितनी मिट्टी प्रतिदिन खुदवाई जाती है ?

श्री चरण सिंह—पुरुष से २०० क्यूबिक फीट मामूली मिट्टी-मिट्टी के ऊपर भी है—स्त्री और बच्चों से कितनी खुदाई जाती है, मुझे याद नहीं है। माननीय मित्र देखना चाहें तो वह फ़ेमिन कोड में देख सकते हैं।

जिलाधीश फ़र्रुखाबाद का आफ़िस

*१५—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि फतेहगढ़ कलेक्टरेट में कोई कमरा न होने के कारण जिलाधीश, फर्रुखाबाद का आफिस उनके निवास स्थान पर ही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिलाधीश जो अपने मकान का कमरा सरकारी काम के लिये इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसका कुछ किराया दिया जाता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उसका कोई किराया उनको सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता।

बरदहा, जिला बस्ती के अग्नि पीड़ितों को सहायता

*१६—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार को पता है कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में ग्राम बरदहा में आग लग जाने से उक्त गांव के किसानों के घर व खलिहान में रक्खी हुई उनकी रबी की फसल जल कर नष्ट हो गई और उन्हें हजारों रुपये का नुकसान हुआ ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, बस्ती जिले की बांसी तहसील में ग्राम बरदहा में १ अप्रैल, १९५३ को आग लग जाने के कारण २३ किसान परिवारों के घर तथा खलिहान जल गये जिसमें अनुमानतः ६,४०० रुपये की हानि हुई।

*१७—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार उक्त गांव के किसानों को कुछ सहायता देने का विचार रखती है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इन किसानों को ९२५ रुपये की मुफ्त सहायता दी जा चुकी है। पीड़ित लोगों से तकावी लेने के लिए कहा गया था परन्तु इनमें से किसीने तकावी के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह ९०० रु० किन लोगों को दिया गया?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माल मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस रबी की फसल में कौन-कौन से अनाज शामिल थे जो जल गये?

श्री चरण सिंह—खलिहान में जो रखा था वह जल गया।

बस्ती जिले में राजनीतिक पीड़ितों को मोटर-ट्रक के परमिट

*१८—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में कितने राजनैतिक पीड़ितों को मोटरट्रक की परिमिट दी गई हैं?

कृषि उप मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—९६ राजनीतिक पीड़ितों को १९ ग्रूपों में १९ परमिट दिये गये। सन १९५३ में एक राजनीतिक पीड़ित को एक पब्लिक कैरियर का परमिट दिया गया लेकिन परमिट देने का मूल कारण राजनीतिक पीड़ित होना ही नहीं था।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती में जिन पोलिटिकल सफरर्स को पर्मिट दिये गये हैं उनमें से किसी को कैंसिल भी कर दिया गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—जिन महाशय को १९५३ में परमिट दिया गया है उनका शुभनाम क्या है क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय तो मेरे पास नाम नहीं है। सूचना की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आगे भी सरकार राजनैतिक पीड़ितों को पर्मिट देने जा रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—अभी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

*१९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[२२ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) तहसील में कलेक्शन अमीनों की नियुक्ति

*२०—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) तहसील में इस फस्ली में कितने कलेक्शन अमीन रक्खे गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़, में इस फ़सल में ३३ कलेक्शन अमीन रक्खे गये हैं।

*२१—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अमीनों के selection के सम्बन्ध में कोई सरक्यूलर प्रदेशीय सरकार द्वारा भेजा गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खेंगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार ने १२ दिसम्बर, १९५३, को कलेक्शन स्टाफ की नियुक्ति के लिये आदेश जारी किया था। उसकी नकल मेज पर रखना जनहित में मुनासिब न होगा, मगर उसके मोटे-मोटे उसूल यह हैं:—

(१) हर अमीन को साल भर में ५०,००० रु० के लगभग वसूल करना होगा।

(२) वही अमीन नियुक्त किये जायेंगे जो कम से कम एक फ़सल से ज्यादा मालगुजारी, आबपाशी, तकावी या और सरकारी मतालबात की वसूली में काम कर चुके हों और जिनका काम अच्छा समझा गया हो,

(३) १८ फी सदी जगहें परिगणित जातियों के लिये निर्धारित कर दी गई हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो सर्कुलर भेजा गया उसमें जो 'ए' क्लास के अमीन हैं उन्हीं को सिलेक्शन में रक्खा गया?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो फसल में काम कर चुके हैं और जिनकी वसूली अच्छी रही है उन्हीं को रक्खा जाय ऐसा उस जी० ओ० में था।

श्री नेकराम शर्मा—मेरा प्रश्न यह है कि 'ए' और 'बी' क्लास की केटेगरीज अमीनों की बनाई गई थीं और सर्कुलर में यह दिया हुआ है कि जो अमीन 'ए' क्लास कटेगरी के होंगे उन्हीं को रक्खा जायगा?

श्री चरण सिंह—यह ठीक है कि जिलों में अमीनों की 'ए' और 'बी' केटेगरीज बनाई गई हैं लेकिन सर्कुलर में यह रक्खा गया है कि जिनका काम अच्छा हो। तो नतीजा यही निकलता है कि 'ए' केटेगरी के अमीन रक्खे जायं लेकिन सर्कुलर में कोई 'ए' या 'बी' केटेगरी का जिक्र नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—सर्कुलर में शिक्षा की योग्यता क्या रक्खी गई है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—योग्यता यह रक्खी गई है कि मिडिल पास होना चाहिये लेकिन यह भी रक्खा गया है कि अगर मिडिल पास न हो तो अच्छा काम करने की योग्यता हो तो फिर मिडिल पास का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह हरिजनों के लिये भी रक्खा गया है?

श्री चरण सिंह—प्रतिबन्ध सब के लिये था। जो लोग पहले काम कर चुके थे उन्हीं में से ये लोग रक्खे जाने को थे। उनमें से १८ फीसदी हरिजनों को रक्खा जा सकता था लेकिन मान लीजिये कि हरिजनों की तादाद ५ फीसदी ही हो तो १८ फीसदी पूरी नहीं की जा सकती थी। उसूल यह था कि पहले का जिनको तजुर्बा है उन्हीं को लिया जाय। बाहर से न लिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सिकन्दराराऊ तहसील में ऐसे अमीनों को रख लिया गया है जो मिडिल फेल थे और ऐसे लोगों को नहीं रक्खा गया जिनका काम भी बहुत अच्छा था और हाई स्कूल भी थे?

श्री चरण सिंह—अभी जब मैं अलीगढ़ गया था तो इस तरह की शिकायतें मेरे सामने रक्खी गयी थीं लेकिन जिलाधीश से बात करने पर मुझे तसल्ली हो गई। अगर फिर भी माननीय सदस्य को शिकायत है तो तफसील देने पर तहकीकात हो सकेगी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—इन अमीनों में क्या कुछ ऐसे आदमियों की भी नियुक्तियां की गई हैं जिन्होंने एक फसल भी काम नहीं किया?

श्री चरण सिंह—मैं नहीं समझता कि ऐसी कहीं भी नियुक्ति की गई है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—सरकार ने १८ फीसदी हरिजनों का कोटा पूरा करने का जो आदेश दिया तो जिन जिलों में यह परसेंटेज पूरी नहीं हुई वहां के लिये सरकार क्या सोच रही है?

श्री चरण सिंह—कुछ नहीं सोच रही है।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकार का यह आदेश है कि हरिजनों का कोटा हरिजनों से पूरा होना चाहिये सो अमीनों के बारे में क्या वह कंट्रेडिक्ट नहीं हो गया है?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप विवाद शुरू कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—३३ अमीनों में हरिजन कितने हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सिकन्दराराऊ में कोई नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सिकन्दराराऊ के तहसीलदार के पास कुछ हाई स्कूल पास हरिजन अमीनों के लिये गये जिन्होंने २ फसल काम किया था?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

सलोन तहसील में खेतों पर जबरदस्ती कब्जा

*२२—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सलोन तहसील में खेतों पर जबरदस्ती कब्जा करने के कितने मामलों की सूचना उसे मिली है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रश्न से यह पता नहीं चलता कि माननीय सदस्य महोदय ने किस तारीख से किस तारीख तक की सूचना मांगी है। १ अप्रैल, सन १९५३, से ४ नवम्बर, १९५३, तक सलोन तहसील में भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की ६२ सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री दल बहादुर सिंह---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन जबरदस्ती कब्जा करने की सूचनाओं पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इनमें से २७ पर तो १४५ के मुकदमे की कार्यवाही जो अदालत में होती है वह हो रही है। ३५ विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं और १३५९ फसली में जो बेदखल कर दिये गये थे उनकी सूचनायें इसमें शामिल नहीं हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---इन ६२ घटनाओं में भूमि पर कब्जा करने के काम में कितने आदमी शामिल थे और कितने रकबा जमीन पर कब्जा किया गया है ?

श्री चरण सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इतनी विस्तृत सूचना इकट्ठा करने में कि कितने आदमी शामिल थे और कितनी जमीन थी अफसरों का बहुत समय जाता है, इसलिये इस प्रकार की सूचना हमने इकट्ठी नहीं की।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार इस प्रकार का विचार रखती है कि १४५ के मुकदमों में अफसर मौके पर जाकर किसानों की आसानी के लिये तहकीकात कर लिया करें ?

श्री चरण सिंह---सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री दल बहादुर सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो घटनाओं की सूची दी है उसमें सलीमपुर मैरों, कन्दरावा, रसीदपुर और बारा की घटनायें भी शामिल हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

बनारस कलेक्टरी में हरिजनों की संख्या

*२३---श्री रामलखन (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस कलेक्टरी में जनवरी, ५२ से अब तक कितने नये क्लर्क एवं चपरासी भर्ती किये गये और उनमें हरिजनों की कितनी तादाद है ?

श्री चरण सिंह---बनारस कलेक्टरी में जनवरी सन् १९५२ से अब तक कुल ९० क्लर्क एवं १३ चपरासी भर्ती किये गये और उनमें हरिजनों की तादाद क्रमशः ५ व ३ है।

*२४---श्री राम लखन (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले में कुल कितने लेखपाल नये भर्ती किये गये तथा उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री चरण सिंह---बनारस जिले में कुल २१७ लेखपाल नये भर्ती किये गये उनमें हरिजनों की संख्या १५ है।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १८ परसेंट के हिसाब से बैकलॉग होने पर अगर हरिजन मिलेंगे तो उन्हें रख लेगी ?

श्री चरण सिंह---जिस वक्त कि लेखपाल भर्ती हुये थे उस वक्त बस फीसदी का ही नियम था। अब आगे के लिये अगर जगह खाली हों तो उनमें हरिजन भर्ती किये जायं और जो १८ फीसदी का नियम है वह नियम परा हो जाय, इस पर विचार किया जायगा।

जरा मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि कई हरिजन चुने गये थे लेकिन उन्होंने आज नहीं संभाला।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भविष्य में जो लेखपालों की जगहें रिक्त होंगी उन पर १८ फीसदी के अनुपात से हरिजनों को प्रधानता दी जायगी?

श्री चरण सिंह---इसका जवाब दे चुका हूं।

राज्य में लेखपालों की नियुक्ति विषयक नीति

*२५---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त भर में पहिले कुल कितने पटवारी कार्य करते थे और अब कितने लेखपाल उनके स्थान पर कार्य कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह---राज्य के पहाड़ी अंशों व तराई भाबर, जिला नैनीताल, को छोड़ कर अन्यत्र २७,८४५ पटवारी कार्य करते थे। अब उनके स्थान पर लगभग १८,०९२ लेखपाल कार्य कर रहे हैं।

*२६---श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने पटवारियों ने त्यागपत्र दिया था और उनमें से कितने पुनः लेखपाल नियुक्त किये गये?

श्री चरण सिंह---कुल २६,१३४ पटवारियों ने त्यागपत्र दिया, जिसमें मुस्तकिल पटवारी, एवज पटवारी और अन्य पटवारी जिन्होंने दूसरी जगह पर काम करते हुए भी त्यागपत्र दिये थे, शामिल हैं। उनमें से २,७३७ पटवारी पुनः लेखपाल नियुक्त किये गए हैं।

*२७---श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लेखपालों में से कुल कितने ऐसे हैं जो पहले पटवारी रह चुके हैं?

श्री चरण सिंह---लेखपालों में ५,१५७ व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले पटवारी रह चुके हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि त्यागपत्र दिये हुए पटवारियों को भविष्य में सरकारी नौकरी देने की क्या नीति है?

श्री चरण सिंह---उनके बारे में विचार यह है कि जहां-जहां चकबन्दी का काम शुरू होगा वहां मौजूदा लेखपालों के अलावा और जितने पटवारियों की जरूरत होगी पुराने पटवारियों को अगर उनका रिकार्ड अच्छा रहा होगा तो रख लिया जायगा। दूसरे यह कि अगर वे किसी जगह के लिये योग्यता रखते हैं, नेक चलन हैं, और जो दूसरी कैद उस जगह के लिये हैं उनको भी पूरा करते हैं, तो उस जगह पर वे रखे जा सकते हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि और जो जगहें पटवारियों की खाली होती हैं तो क्या ऐसी जगहों पर एवजी रूप में उनको काम करने की इजाजत है?

श्री चरण सिंह---जी नहीं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे इतने कम लेखपालों से पुराने अधिक पटवारियों का काम चल जाता है?

श्री चरण सिंह---अच्छा खासा चल रहा है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि फसली सन् ५९, ६० और ६१ में जो खतरे की पड़ताल की जाती थी वह की गयी है या नहीं?

श्री चरण सिंह---५९ का तो मेरी समझ में नहीं आया, ५९ में तो हुआ ही था। ६० में नहीं हुआ, ६१ में हो रहा है, ६१ के कागजात जब तैयार हो जायंगे तो वे ६० और ६१ दोनों के माने जायेंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिये थे उनमें से कुछ क्या अमीन इत्यादि की जगहों पर ले लिये गये या लिये जा रहे हैं?

श्री चरण सिंह---मैंने जैसा अर्ज किया, कि लेखपाल की जगह को छोड़कर और किसी दूसरी जगह के वे योग्य हों तो उनके लिये जाने में कोई बाधा नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दो हजार पुराने पटवारी लेखपालों के स्थान पर रखे गये हैं क्या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और जो लेखपाल इनएफिशिएंसी की वजह से हटाये गये हैं उनकी जगहों की पूर्ति पुराने पटवारियों से की जा सकती है?

श्री चरण सिंह---जो पुराने पटवारी ५,१५७ हैं उनमें २,७३७ वे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था लेकिन बाद में फिर वापस ले लिया और शेष वे हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। सवाल के दूसरे भाग का जहां तक प्रश्न है मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि पुराने पटवारियो को लेखपालों की जगहें नहीं दी जायंगी।

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल कलेक्टरेट के हरिजन कर्मचारी

१---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त नैनीताल कलक्टरेट में कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं और इनमें कितने परमानेंट हैं?

श्री चरण सिंह---नैनीताल कलक्टरेट में कुल १८१ कर्मचारी कार्य करते हैं और उनमें १५६ परमानेंट हैं।

२---श्री खुशीराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजूदा कर्मचारियों में हरिजन वर्ग के कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं और उनका सर्विस काल क्या है?

श्री चरण सिंह---मौजूदा कर्मचारियों में हरिजन वर्ग के कर्मचारी लगभग ५ प्रतिशत हैं और उनकी सर्विस ३ मास से ११ साल तक की है।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज में दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

शिक्षा-मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज में विधान सभा के सदस्य सर्व श्री हर गोविन्द पंत तथा दीनदयालु शास्त्री का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थानों पर विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज में विधान सभा के सदस्य सर्व श्री हरगोविन्द पंत तथा दीनदयालु शास्त्री का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थानों पर विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---इस प्रस्ताव के अनुसार मैं यह कार्यक्रम रखता हूं कि नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय २६ फरवरी, १९५४ को एक बजे मध्याह्न तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय २६ फरवरी, १९५४ को तीन बजे अपराह्न तक। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय ४ मार्च, १९५४ को तीन बजे अपराह्न तक। यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन की तिथि, समय एवं स्थान की सूची बाद में दी जायगी।

१९५४-५५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी होगा।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)---सदन की नियमावली के नियम १५२ के उप-नियम (३) के अन्तर्गत मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि बजट संबंधी भाषणों के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि अधिक सदस्य भाग ले सकें। आपकी आज्ञा हो तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता के लिये एक घंटे का समय और अन्य पार्टियों के नेताओं को आध घंटे का समय और बाकी माननीय सदस्यों को २० मिनट का समय दिया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय विरोधी दल के नेता का प्रश्न है मैं समझता हूं कि उनके लिये कोई समय निर्धारित न किया जाय। यह बजट एक दफा साल में आता है और यह हो सकता है कि हमारे माननीय विरोधी दल के नेता कुछ ज्यादा समय लें लें। यह उनकी शान के खिलाफ है और सदन की भी शान के खिलाफ है कि उनके लिये समय निर्धारित किया जाय। मेरे विचार से उनके भाषण के बाद समय की बातचीत की जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय राधामोहन सिंह जी ने रखा है मैं समझता हूं कि वह ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना है कि विरोधी दल के नेता जो बोलेंगे, उस पार्टी में और भी अच्छे-अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे उपाध्यायजी हैं, जो कुछ विरोधी दल के नेता से बाकी रह जाय, उसको वे पूरा करदें, तो ज्यादा अच्छा होगा और समय निर्धारित कर दिया जाय। ऐसा न हो कि कहीं माइनारिटी के लिये मेजारिटी को नुकसान हो जाय।

श्री अध्यक्ष---अब मैंने राय मामूली तौर से ले ली। अब कोई नया सुझाव नहीं दे रहा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, २० मिनट के बजाय १५ मिनट कर दिये जायं।

अनेक सदस्य---२० मिनट ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष---मैं एक बात कहता हूं कि पहले से यदि समय निर्धारित किया जायगा तो उसमें यह उचित न होगा कि किसी के लिये छोड़ दिया जाय। लेकिन यह हो सकता है कि विरोधी दल के नेता अधिक समय चाहें तो पहले मैं तय कर दूं और मैं उनकी गुंजाइश के लिये इतना कर सकता हूं कि उनको पहले अधिक समय दे दूं जिसमें वे अच्छी तरह से सब विषयों पर प्रकाश डाल सकें और जनता अपना मत प्रकट कर सके, लेकिन समय उनके लिये नियत करना ही होगा क्योंकि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। यदि समय उनके लिये नियत नहीं होगा तो फिर किसी के लिये नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न पहले उठा दिया गया है, इसलिये मैं एक ही सा तरीका अख्तियार करना चाहता हूं। सिर्फ इतना फर्क जरूर रखूंगा कि अगर वे यह समझते हैं कि इतने समय में उनकी स्पीच समाप्त होगी, तो उसको वे बतादें ताकि दूसरों को मौका देने के लिये मैं उसको ऐडजस्ट कर लूं। तो क्या आप कृपा करके बता सकेंगे कि कितना आप को समय लगेगा?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री ने जो भाषण पढ़ा है लिखित...

श्री अध्यक्ष---१ घंटा ५० मिनट में।

श्री राजनारायण---आप स्वयं समझते हैं कि उनके भाषण पर विरोधी दल अपना दृष्टिकोण शासन व्यवस्था और सामाजिक सुधार के संबंध में रखता है। अब यदि आप अपनी ओर से समय निर्धारित करना चाहें, तो जितना आप समझें उतना कर दें, और हम समझते हैं कि आप जरूर समय निर्धारित करेंगे। विरोधी पक्ष जिस का लिखित भाषण नहीं है और जिस को बजट के आंकड़ों में से निकाल करके सरकार का पर्दाफाश करना है और उसके पैरलल अपने सुझाव देने हैं, वह कितने समय में कर सकता है, यों अगर समय न हो, श्रीमन्, तो मैं इसके लिये भी तैयार हूं कि चूंकि मैं देखता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, मैं भी न बोलूं क्योंकि समझता हूं.....

श्री अध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री जी तो हैं।

श्री राजनारायण---माननीय वित्त मंत्री जी हैं, लेकिन जिस तरह की शासन व्यवस्था है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, जितने उनके अधिकार हैं, उससे ज्यादा उनको समझता हूं। इसलिये मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित रहते। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें।

वित्त मन्त्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, मैं जनाब की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि यहां बहस तो बजट पर होगी, बजट स्पीच पर नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता के लिये कोई वक्त मुकर्रर न किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि चूंकि उपनेता का सुझाव है, बाकी और सदस्य मानने के लिये तैयार होंगे।

अगर किसी का विरोध हो तो मैं तो निश्चित करूंगा। श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा जी, क्या आपका कोई विरोध है?

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---मैं यह जानना चाहता था कि "पर्दा फाश करना" क्या पार्लियामेंट्री लैंगुएज है?

श्री अध्यक्ष---मैंने तो कह दिया कि अगर कोई विरोध हो तो मैं समय निश्चित करूंगा लेकिन अगर सर्वसम्मति से है कि विरोधी दल के नेता के लिये कोई समय न नियत किया जाय.....

कुछ सदस्य---सर्वसम्मति से है।

श्री अध्यक्ष––अगर सर्वसम्मति से है तो मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता को बधाई देना चाहिये। इसके बाद और लोगों के लिये मैं यह समझता हूं कि आध घंटा दूसरे दल के नेता के लिये और बाकी लोगों के लिये पहले रोज तो मैं २० मिनट दे दूंगा लेकिन कल दोपहर के बाद से १५ मिनट कर दूंगा क्योंकि उस वक्त ज्यादा लोग बोलना चाहेंगे और मंत्रियों के लिये कुछ अधिक समय दिया जायगा। बाद में जितना समय बचेगा उसका बटवारा उनमें कर देंगे।

१९५४–५५ के आय–व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री राज नारायण (जिला बनारस)––श्रीमन्, पहले तो मैं इस सदन का बहुत आभारी हूं कि सदन ने कोई समय की पाबन्दी नहीं लगाई। हमारे सामने जो माननीय वित्त मंत्री जी ने १ घंटा और ५० मिनट में अपने बजट के भाषण द्वारा इस प्रान्त का सन् १९५४–५५ का बजट प्रस्तुत किया और जिसको उन्होंने कल्याणकारी राज्य का बजट कहने की कृपा की उसको अगर मैं एक शब्द में कहूं तो वह कल्याणकारी राज्य को बहुत दूर से नमस्कार करने वाला बजट है, यानी वह फेयरवेल है वेलफेयर स्टेट का। श्रीमन्, इस बजट में स्टेटस को रखा गया है। इसमें गरीबी, भुखमरी और शोषण का अन्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किया गया है और यदि देखा जाय तो जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के आरम्भ में ही कहा कि किसी भी स्टेट का बजट वह आइना होता है जिसमें उस स्टेट का पूरा चित्र सामने प्रस्तुत होता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बड़ा शीशा रखा है जिसमें जो वस्तु स्थिति है वह कई गुना आकार लेकर प्रकट होती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह बजट की जो बड़ी-बड़ी पोथियां हमारे सामने हैं उनको खोलें और देखें कि क्या कहीं भी इस बात की गुंजाइश है कि हम पता पा सकें कि इस उत्तर प्रदेश की कुल कितनी आमदनी है, पर कैपिटा कितनी आमदनी है, वह आमदनी घटी है या बढी है। जब हम जनतांत्रिक स्टेट के बजट को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हमें यह आभास मिलना चाहिये कि जो शासन तंत्र है वह केन्द्रित होता जा रहा है या विकेन्द्रित। जनतंत्र का अर्थ अगर इस बजट के भाषण को पढ़ने से हम निकालें और इस बजट की जो पोथियां हैं उसके आंकड़ों से निकालें तो हमको यही लगता है कि यह पूरे माने में ब्यूरोक्रेटिक सत्ता को केन्द्रित करने वाला बजट है। इसमें श्रीमन् अगर देखा जाय कि ऐसा बजट प्रस्तुत करने से क्या नतीजा होगा तो हमें मालूम होगा कि जो सोसाइटी है उसमें जो क्लाजेज हैं, जो वर्ग हैं वे खत्म नहीं होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में जो एक पारस्परिक विरोध है उसे ज्यों का त्यों रखा है। इसमें मजदूरों, किसानों और मेहनतकशों का एक्सप्लौयटेशन इतनी तेजी से होगा जिसकी कल्पना हम इस बजट के आने से पहले नहीं करते थे। हम समझते थे कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि सरकार जो बजट लायेगी उसमें इस बात की गुंजाइश रक्खेगी कि श्रमिकों, किसानों, मजदूरों और मेहनतकशों का शोषण न हो। लेकिन इस बात की तनिक भी गंध हम इसमें नहीं पाते। हर तरह से किसान, मजदूर और मेहनतकशों का शोषण इसमें मौजूद है और श्रीमान्, बजट भाषण की लाइन्स को पढ़कर मैं सम्मानित सदस्यों की खिदमत में पेश करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो यह संकेत किया है अपने भाषण में कि कुछ लोग राज्य के अन्दर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं तो इस संबंध में निहायत अदब के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह दोष माननीय मंत्री जी अपने ऊपर लगाते या सरकार के ऊपर लगाते तो निहायत अच्छा होता। क्या इस बजट से, जैसा कि यह प्रस्तुत है, जस्टिस मिल सकती है? क्या इससे अव्यवस्था दूर हो सकती है, ? कदापि नहीं, हर्गिज नहीं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जिस रूप का यह बजट है उससे हमारे ऐसे सरीखे लोगों का तो भाषण स्वातंत्र्य भी खत्म हो गया है और इससे भी कुछ दूर तक कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे प्रांत में भाषण स्वातंत्र्य की रक्षा की बहुत कोशिश हमारे अखबार से संबंधित भाई करते हैं, तथापि इस बजट से प्रेस की स्वतंत्रता कुंठित होती है,। क्यों? इस क्यों को समझना चाहिये। सरकार की स्थिति यानी सरकार अपनी

[श्री राजनारायण]

पोजीशन को मजबूत करने के लिये जिस पुलिस फोर्स को रखने की बात कह रही है, जिस पर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म किया जा रहा है वह किस काम आयेगा ? जब सरकार देखेगी कि सूबे में ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है कि क्रांतिकारी ताकतें अपना कदम बढाने के लिये आगे बढ़ रही हैं तो सरकार उन अखबारों पर कुठाराघात करेगी जो क्रांतिकारी तबकों का साथ देंगे या जो न्याय पसन्द होंगे और सही बात का इजहार करेंगे।

मैं नहीं कहना चाहता हूं इस आदरणीय सदन में कि हमारे उप मंत्री महोदय अखबारों पर चोट पहुंचा चुके हैं जिसका वर्णन समाचारपत्रों और इस सदन में भी हो चुका है। वह इशारा है और संकेत है कि " Coming events cast their shadow before " यानी आने वाली घटनायें अपना साया फेंकने लगती हैं। मैं चाहता हूं कि इसको अगर देखा जाय तो यह सम्मानित सदस्यों के लिये विचार का सवाल है कि आज जिस रूप का बजट प्रस्तुत है उसको रखकर इस तरह के शासकीय और सामाजिक ढांचे को रखकर हम इक्वैलिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को कैसे कायम रख सकते हैं। यह एक स्वप्न की चीज है।

श्रीमन्, अगर सम्मानित सदस्य माननीय मंत्री जी के हिन्दी भाषण को अपने सामने रखें तो उसमें कहा गया है "मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलोजीकल वातावरण बनना अगले साल के प्लान की सफलता के लिये आवश्यक है।" इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐजीटेशन की चर्चा की है। उन्होंने यहां पर कहा है कि टैक्सेज जो इम्पोज किये गये हैं उनके विरोध में कुछ लोग जनता के बीच में जाकर जनता को एजीटेट करते हैं। जनता को आन्दोलित करते हैं, इस सरकार की नीति के विरोध में, उस टैक्स के विरोध में। श्रीमन्, हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्य कांग्रेस पार्टी की सेवाओं से परिचित होंगे। इस सरकार की सेवाओं से परिचित होंगे और उनके सामने यह कहा जाता होगा कि इस प्रान्त को एक स्वर्गपुरी बना देने के लिये इस प्रांत में विकास के लिये बड़ी बड़ी योजनायें कार्यान्वित की गयीं, डेवलपमेंट की नयी नयी स्कीमें भी चालू की गई हैं। मगर मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों के सामने रखना और पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बजट के पिछले आंकड़ों को भी देखने की कोशिश की है। सन् १९२६ में अपने यहां १२ करोड़ का बजट था। सन् १९४६ में ३० करोड़ का बजट हो जाता है। जब जनतांत्रिक प्रणाली से चुनकर नयी सरकार बनी तो इस प्रकार सरकार ने ६५ करोड़ का बजट रखा और दूसरा बजट पहले ७८ करोड़ का था, मगर सप्लीमेंटरी होते होते ८१, ८२ करोड़ का हो गया और तीसरा बजट ८१ करोड़ रुपये का, जिस में ३.९१ लाख का घाटा है, रखा गया है।

मुझे मालूम है कि हमारे सदन में अर्थ शास्त्र के पंडित भी बैठे हुये हैं, जानकार भी बैठे हुये हैं जो सामाजिक मनोविश्लेषण को भी समझते हैं। इसमें कौन सा औचित्य साबित कर सकती है सरकार कि जनता की पेइंग कैपेसिटी न बढाये और उसके ऊपर टैक्स का भार बढाती चली जाय ? जब टैक्स का भार बढेगा, पेइंग कैपेसिटी नहीं बढेगी तो क्या भुखमरी और बेकारी नहीं फैलेगी ? और जब भूख की ज्वाला में हमारे प्रान्त का समुदाय जलेगा तो क्या वह किसी आर्डर के लिए बैठा रहेगा, या अपने अधिकार को पाने के लिये लालायित होगा ? श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की खिदमत में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे जरा बजट की पोथी के पन्नों को उलटेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि हमारे सूबे में जनता की क्रय-शक्ति घटती चली जा रही है। इसका जीता जागता नमूना अगर देखा जाय तो सेल्स टैक्स, बेटिंग टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स के आंकड़ों से मालूम हो सकता है। सेल्स टैक्स में २७,२९,००० रुपये की कमी हुई है। बेटिंग टैक्स में ५,२४,००० रुपये की कमी हुई है। इंटरटेनमेंट टैक्स में ४,७८,००० रुपये कम हुये हैं सन् १९५२–५३ में। और सन् १९५३–५४ के आंकड़ों को देखा जाय तो २४ लाख सेल्स टैक्स में और इंटरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स में १३ लाख की कमी दिखलायी गयी है। चूंकि अभी वह रिवाइज्ड नहीं है इसलिये ऐक्चुअल सामने नहीं आया है। जबकि सेल्स टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, नये नये आर्टिकिल्स सेल्स टैक्स के अन्दर लाये जाते हैं फिर भी सेल्स

टैक्स से क्यों कर की आमदनी में कमी होती है ? इसका यही एक उत्तर है कि जनता की पर्चेजिंग कैपेसिटी घट रही है। पर्चेजिंग कैपेसिटी घटने का यही प्रमाण है कि टैक्सों की आमदनी में कमी होती जा रही है।

श्रीमन्, मैं समझने में कतई असमर्थ हूं कि बहस के लिए बहस क्यों की जाती है। जवाब न देना हो, न दें। मैं सरकारी बेंच के भाइयों की खिदमत में जो सवाल रख रहा हूं उनको उत्तर के रूप से चाहता हूं, केवल विवाद के लिये विवाद करके समय नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय ठीक ठीक उत्तर मिल जायगा तो अनुदानों के वक्त समय नष्ट होने से बच जायगा।

अन्य कर जिनमें और बहुत से कर शामिल हैं, उनमें १३,४१,००० रुपये की बढ़ती हुई है। इस मद में सरकार की ओर से यह कहा जा सकता है कि उसमें तो १३ लाख ४१ हजार की बढ़ती हुई है। मगर उसमें यह बढ़ती कैसे दिखलाई गई है इसको भी सम्मानित सदस्य देखें। उसमें बढ़ती है ५० लाख रुपये की शुगर केन की, जो पिछला बकाया था वह इस समय वसूल हुआ और उसको इसमें डाल दिया गया है। इस तरह से अगर यह हम देखें तो २४ लाख और १३ लाख यानी दोनों मिला कर ३७ लाख सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स और बेटिंग टैक्स में कमी हुई और ५० लाख जो शुगर केन सेस का है उसमें से अगर ३७ लाख घटा दिया जाय तो १३ लाख की बढ़ोतरी हो जाती है और वही इस बजट में प्रस्तुत है। अगर माननीय सदस्य इस बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो समझ पायेंगे कि यह बढ़ोत्तरी नहीं है बल्कि सही माने में घटती है और यह जाहिर करता है कि जनता की क्रय शक्ति बेतहाशा घटी है।

श्रीमन्, माननीय सिंचाई मंत्री, श्री कमलापति जी, बड़े भाग्य की बात है कि इस सदन में आज उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यह सिंचाई कर की वृद्धि क्यों की जाती है। आखिर इस सिंचाई कर में जो ३ करोड़ ३० लाख की वृद्धि हुई है, जो पिछले आंकड़े में एक फसल को लगा करके इसके आधे के रूप में कही जाती है, तो यह वृद्धि क्यों की जाती है? क्या अनाज का भाव बढ़ रहा है या घट रहा है, यह माननीय सदस्य खयाल करेंगे। गल्ले की कीमत इस समय बढ़ोत्तरी पर नहीं है, गल्ले की कीमत घट रही है। तो जब किसान जिस धन को पैदा करता है, उसकी कीमत घट रही है और उस पर भी उसके ऊपर सिंचाई के नाम से डेढ़ गुना कर बढ़ाया जाता है और तीन साढ़े तीन करोड़ का रुपया उस पर लाद दिया जाता है वह कहां का औचित्य है? इसके औचित्य को सरकार कैसे साबित करेगी? साबित करने के लिए तो कत्ल करने वाला खूनी भी सफाई पेश करता है। मगर मैं निवेदन करूंगा कि वैसी सफाई इस सदन में न दी जाय।

श्रीमन्, शहरों की जनता की ओर इस सरकार के जरिये समय बे समय चार बूंद आंसू गिराये जाते हैं और कभी कभी ऐसा प्रचार उसका किया जाता है। एक बात मैं निवेदन करना भूल गया था, मैं चाहता हूं कि सूचना विभाग के कोई कर्मचारी भाई यहां पर होंगे तो हमारे भाषण की रिपोर्ट भी छापकर प्रेस को दे देते क्योंकि मन्त्रियों की रिपोर्ट छापकर वह प्रेस में भेजा करते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एलेक्ट्रिसिटी टैक्स २५ प्रतिशत बढ़ाने का क्या औचित्य है। यह "एलेक्ट्रिसिटी टैक्स" क्यों बढ़ाया गया। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक खासा तबका इस सूबे के अन्दर मौजूद है जो कि बढ़ाने के लिए कहता है। मगर यह सरकार जनता के प्रति बड़ी उदार है कि नये टैक्स को इम्पोज नहीं कर रही है। जब देखेगी कि विकास योजना नहीं चल पा रही है तब वह टैक्स

[श्री राजनारायण]

इम्पोज करेगी। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि समाज बटा हुआ है। इसमें बुर्जुआ थिंकर्स और बुर्जुआ इकोनामिस्ट भी हैं। वह बुर्जुआ इकोनामिस्ट सरकार को वही राय देंगे जैसे परिपाटी दुनिया के और मुल्कों में चली आ रही है। लेकिन अगर सरकार इस बात की कोशिश करेगी तो सरकार की खिदमत में ऐसे लोग भी हैं जो कि बुर्जुआ थिंकर्स से कई गुना संख्या में मौजूद हैं जो सरकार के सामने गरीब मुल्क का नक्शा पेश करने के लिए हर समय तैयार रहेंगे।

श्रीमन्, जनतांत्रिक प्रणाली से चुनकर के हम लोग इस सदन में प्रस्तुत हैं। १९ मई सन् १९५२ के बाद से इस सरकार के जरिये जनता के ऊपर और मेरा कहना है कि गरीब जनता के ऊपर कितना टैक्स का बोझ लगा है, जरा उसको भी सम्मानित सदस्य अपने ध्यान में रखें। सिंचाई कर बढ़ा है, बिजली कर बढ़ा है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ी है, कोर्ट फीस बढ़ी है, बरू का किराया बढ़ा है, इसके अलावा चकबन्दी कर भी लगने वाला है जो माननीय माल मंत्री की विशेष अनुकम्पा से पता नहीं कब लगेगा, ग्राम पंचायत कर और ब्लाक कर, श्रीमन्, ये आठ प्रकार के कर जनता के ऊपर लगे हैं और गरीब जनता के ऊपर लगे हैं। क्या इस सदन का कोई माननीय सदस्य उन्हीं बजट के पन्नों से निकाल कर कह सकता है कि जनता की आमदनी बढ़ गई है जनता खुशहाल हो गयी है इसलिए इस कर को लगाना जायज था। मैं समझता हूं कि कोई अगर ऐसा कहने के लिये आयेगा तो यह उसका दुस्साहस ही होगा।

मैं अपने आदरणीय माल मंत्री से जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं और यह समझता हूं कि कम से कम वह अपने विभाग के आंकड़ों को जानते होंगे, निवेदन करूंगा कि हमारे प्रान्त में जमींदारी उन्मूलन हुआ, उसकी बहुत चर्चा करते हैं। जब इस सदन के बाहर जाकर मीटिंगों में भाषण करते हैं और अखबारों में, मीटिंग में चाहे दस पन्द्रह हों आदमी क्यों न हों, उसकी संख्या ज्यादा निकलती है, तो मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जमींदारी उन्मूलन की जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसके बारे में माननीय माल मंत्री हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। उस कमेटी ने क्या सिफारिश की थी? उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि एक एकड़ तक की खेती करने वाले जो किसान हैं उन पर एक रुपये में ६ आने की कमी की जाय, चार एकड़ तक की आराजी पर एक रुपये में चार आने की कमी की जाय और ६ एकड़ तक की आराजी पर दो आने रुपये की कमी की जाय, दस एकड़ तक की आराजी पर एक आना रुपया छूट दी जाय। श्रीमान्, माल मंत्री उस कमेटी के एक तरह से कर्ताधर्ता थे और यहां के बहुत से माननीय मंत्री महोदय उस कमेटी में थे। क्या औचित्य है कि जब उनके हाथ में सरकार की बागडोर आयी तो उस कमेटी की सिफारिश को कतई ताक पर रख दिया गया? अब ये मनमाने तरीके से गरीब किसान के ऊपर जुल्म की चक्की चलाने में तनिक भी नहीं हिचकते हैं। श्रीमान्, आज माननीय मंत्री जी को मालूम हो या न मालूम हो लेकिन इस माननीय सदस्य के सम्मानित सदस्यों को मालूम होगा कि रुपये में तीन पाई अबवाब किसानों के ऊपर पड़ रहा है जिसको जमींदार ने नहीं वसूल किया था। अभी तक वह अबवाब माननीय मंत्री की विशेष कृपा से उनके पटवारी लोग और लेखपाल, नाम बहुत अच्छे अच्छे देते रहते हैं, वसूल कर रहे हैं। यह लोकल रेट की वृद्धि हो रही है या नहीं? जमींदार बड़े गन्दे थे, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के क्रियेशन थे, बड़े नालायक थे, और इन तमाम बातों में हमारे माल मंत्री जी हमसे सहमत हैं। मगर जो सहूलियत किसानों को...

एक सदस्य—आप क्या कहते हैं?

श्री राजनारायण—मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी मुझसे इन बातों में सहमत हैं। तो श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जो रियायत जमींदार लोग किसानों को देते थे, अब उस रिआयत को सरकार देने में क्यों हिचकिचाती है?

यह कर वह क्यों वसूल कर रही है, क्यों बढ़ा रही है। मैं निहायत अदब से इस सम्मानित सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा सरकार से पूछें कि क्या किसानों के लगान में कमी हुई है या उसमें बढ़ोत्तरी हुई है। किसान ने कौन सा स्वप्न देखा था, किस न से कितने वादे किये गये थे कि जब जमींदारी टूटेगी तो जमींदार के पंजे से मुक्त हो जायगा, उस पर लगान की दर कम होगी, वह अपनी जमीन का खुद मालिक होगा और उसकी मुसीबत दूर होगी। आज माननीय माल मंत्री या इस सरकार का कोई भी सम्मानित मंत्री क्या ईमानदारी से कह सकता है कि क्या आज किसान खुशहाल है। उसके ऊपर जमींदारी उन्मूलन से कर का बोझ हल्का हुआ है, हरगिज नहीं। अगर कोई ऐसा करने का साहस करेगा तो वह वस्तुस्थिति को उलट करके रखने की कोशिश करेगा, शीर्षासन करेगा। मैं पूछता हूं कि आज किसान की क्या हालत है। अभी अभी सवाल का जवाब इसी सदन में माननीय माल मंत्री जी दे रहे थे। मैं १३५९, १३६० और १३६१ का जिक्र कर रहा हूं बहुत ही दुख के साथ उनसे जिक्र करता हूं कि जरा वह सूबे के जिलों में जायं और वहां जाकर केवल सरकारी कर्मचारियों से ही मिल कर न चले जायें बल्कि किसानों के पास भी जायं और वहां पर जिनको वह आन्दोलनकारी और एजीटेटर कहते हैं जरा उनसे भी मिलने की कृपा करें और उनसे मिल कर पता चलाये कि आज किसानों की क्या हालत है। १३५९ में श्रीमन् सप्लीमेंट्री विधेयक पास हुआ। हमने समझा कि किसानों को बड़ी राहत मिली। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि १३५९ में जिस किसान का नाम इन्दराज था उसके भाग्य की डोरी १३६१ में कट गई है। बड़े-बड़े बाअसर लोगों ने लेखपालों को मिला कर उनको कुछ टके थमा कर १३६१ में अपने नाम लिखा लिये हैं। श्रीमन् १३५९ में जिसका नाम इन्दराज था और १३५९ और १३६० में जो काबिज थे क्योंकि अधिकांश सूबे की पड़ताल उस वक्त तक नहीं हुई थी १९६१ में श्री लेखपाल महोदय ने उनका नाम काट दिया। वे कहां जायं। मुकदमाबाजी करें और मुकदमाबाजी करते करते मर जायं, खत्म हो जायं लेकिन सरकार के सामने कोई सुनवाई नहीं है। श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि सही मानें में वह नक्शा हमारे सामने है जिससे हम कह सकते हैं कि आज जो गरीब हैं, जो धन पैदा करने वाले हैं उनकी रक्षा होनी चाहिये और माननीय माल मंत्री को उसके लिये कोई विधेयक लाना चाहिये और विधेयक ऐसा आना चाहिये कि १३५९ में जिसका नाम इन्दराज है और १३६१ में कट गया है तो १३५९ का इन्दराज सही माना जाय जब तक वह किसान स्वयं आकर न कह दे कलेक्टर के सामने कि मैंने अपनी जमीन छोड़ दी है।

सरकार की ओर से उसका औचित्य यों साबित किया जाता है कि मान लीजिये कि १३५९ में काबिज रहा हो लेकिन १३६१ में इस्तीफा दे दिया हो। श्रीमान्, इस बात में कोई तथ्य नहीं है क्योंकि जब चारों तरफ हम यह प्रचार कर रहे हैं कि किसान अपने हक पर काबिज रहे और जब किसान खुद समझता है कि उसको यह हक मिला है तो अपने से जाकर किसान क्यों इस्तीफा देगा। उसको बहका कर, दूसरा दस्तावेज दिखा कर धोखे से दस्तखत करा लिया जाता है और जब वह जिलाधीश को दरख्वास्त देता है कि उसके साथ धोखेबाजी हुई है, जबरदस्ती हुई है तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता और वह कानून के चक्कर में फंस जाता है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय सदस्य अनुदान पर आ जायं ताकि हम लोगों को रोशनी मिल सके।

श्री राजनारायण---आ रहा हूं : माफ कीजिये। टैक्स की बात मैं कह रहा था। सरकार की ओर से इतना टैक्स बढ़ा तो मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री

[श्री राजनारायण]

जो यह भी बतायें कि किस सिद्धान्त के आधार पर, किस औचित्य को लेकर यह टैक्स लगाया जाता है। इस प्रान्त के भाग्य से माननीय सम्पूर्णानन्द जी पुलिस मंत्री हैं वे भी इस पर रोशनी डालने की कृपा करेंगे। मैंने तो श्रीमन् हर सिद्धान्त को खोजा कि टैक्स लगने की प्रणाली क्या है, लेकिन नहीं मिली। प्रिंसिपल आफ पब्लिक फायनेन्सेज, डाल्टन की पुस्तिका में लिखा हुआ है कि टैक्स लगने के क्या सिद्धान्त होने चाहिये। उसमें लिखा हुआ है:—

"Assuming that the relationship between income and economic welfare is the same for the taxpayer and that the original utility of income diminishes fairly rapidly as income increases the principle of equal sacrifice tends to progressive taxation."

"The principle of proportional sacrifice to still steeper progressive taxation and the principle of minimum sacrifice as already pointed out between relatively high level of exemption and very steeply progressive taxation of those not exempt....."

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा कि गुरू शिष्य का संवाद न हो। वित्त मंत्री से यह ज्यादा ताल्लुक रखता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन् क्या करूं, मेरी आदत ही कुछ ऐसी खराब है कि जो कुछ मैं जानता हूं उसे छिपाना नहीं चाहता। यह माननीय वित्त मंत्री के भाषण का अनुवाद भी माननीय गृह मंत्री ने देखा है, जहां तक मुझे मालूम है। खैर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह अपनी सरकार की किसी भी नीति को हमारे सामने रखें और बतलावें कि.....

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि जो लोग खुद कहते हैं कि हमारी आदत खराब है तो वह पहले आदत ठीक करके आवें।

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह प्वाइंट आफ इन्फर्मेशन है।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जरा अपनी सरकार की ओर से सफाई पेश करें कि वह किस उसूल को लेते हैं। उनके भाषण में है कि नया टैक्स हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि जनता का धन जनता को दे रहे हैं। अच्छा शब्दावली है, अच्छा जाल है जनता को गुमराह करने का। मैं कहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी जरा वही Principle of Public Finance को देखें तो उनके सामने मैं एक क्वोटेशन जिसमें कि जमींदारी व्यवस्था के बारे में डाल्टन ने संकेत किया, है पढ़ देना चाहता हूं।

"If the terms of tenancy are the same it makes no substantial difference to a tenant whether his landlord is a public authority or a private person."

मैं चाहता हूं कि कम से कम इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बात साफ़ हो जाय कि जमींदारी व्यवस्था टूट गई मगर इस सरकार के कानूनों से कोई ज्यादा फायदा किसानों को जितना होना चाहिये वह होने वाला नहीं है। चाहे वह पब्लिक अथारिटी हो या प्राईवेट परसन, अगर उनका लगान वही है तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखना तो यह है कि मीन्स आफ प्रोडक्शन क्या है। जमीन से अन्न पैदा होता है। कल कारखानों से सामान पैदा होता है। ये उत्पादन के साधन किसके होते हैं, उनको किराया देना पड़ता है और उसका कैसे

इस्तेमाल होता है, इसका नक्शा सदन में आना चाहिये। यह नहीं करना चाहिये कि भूलभुलैया में हमको डाल दिया जाय। हमने सिंचाई-कर के बारे में निवेदन कर दिया। उसे लगाना आज किसानों के साथ बहुत सीधे सीधे जुल्म करता है और बिक्री कर क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसके बारे में इस सदन में यद्यपि हमने कई बार कहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा किसी अर्थ शास्त्री की सम्मति भी अपने पक्ष के समर्थन में दे दूं ताकि माननीय वित्त मंत्री को हमारी बात समझने में आसानी हो। डाल्टन ने कहा है कि--

"A practicable sales-tax tends almost inevitably to be regressive. It is a fundamental weakness of a sales-tax that it cannot make allowance for domestic circusmtances and indeed that it tends to fall more heavily as between taxpayers of equal income and those with the largest number of dependants."

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या यह उचित नहीं होगा कि हिन्दी में पढ़ा जाय? माननीय नेता विरोधी दल अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं जिससे मैं समझता हूं कि सदन का समय बर्बाद होता है।

श्री अध्यक्ष--इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि अगर सेल्स टैक्स के बारे में देखा जाय कि उसका बर्डेन कहां पर पड़ रहा है तो आपको मालूम होगा कि जिन लोगों की फेमिली ज्यादा है, जो लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं, उन पर ज्यादा बोझ पड़ता है। एक तो पहले ही उसके खानदान मे ज्यादा लोग हैं और वह उनके लिये ज्यादा सामान खरीदता है इसलिये उसी पर ज्यादा बर्डेन पड़ता है। इस तरह से जो साधारण प्रिंसिपिल है उसकी यहां अवहेलना की गयी है। इस प्रकार यह समझ में नहीं आता कि इस प्रान्त की अवस्था कैसे सुधरेगी। टैक्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इतने टैक्स लगाये जा चुके हैं लेकिन सरकार इतने ही से सन्तोष कर रही है कि इस साल के बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है और उसके लिये सरकार मुबारिक-बाद भी चाहती है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर टैक्सेशन इस तरह से बढ़ते चले जायंगे तो जनता की कैपेसिटी समाप्त हो जायगी, जनता की बर्किंग कैपेसिटी समाप्त हो जायगी। इस प्रकार से जो अर्थशास्त्रियों का फंडामेंटल मोटो है उसकी भी सरकार ने अवहेलना की है। सरकार यह नहीं समझती है कि वह जनता को भुखमरी के रास्ते पर ले जा रही है और जनता की जो शक्ति है वह समाप्त होती जा रही है जो कि हमारे समूचे राष्ट्र की एक निधि है, वह निधि बरबाद हो रही है। इसके बारे में अर्थ शास्त्री डाल्टन कहते हैं--

"To promote the growth of material capital at the expense either of human capital or of knowledge is a mistaken policy which will tend to diminish and not to increase production but to promote the growth of material capital at the expense of consumption which does not add appreciably to human effiiciency is a policy which will increase production."

अगर इसके बारे में देखा जाय तो उसका अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अगर सरकार अपनी टैक्स लगाने की नीति को जारी रखती है, मानव शक्ति का इस्तेमाल करती जाती है लेकिन उसको बढ़ने का मौका नहीं देती...

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--आन एक प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बजट में कोई टैक्स लगाने की व्यवस्था नहीं है और न कोई नीति ही निर्धारित की जा रही है लेकिन माननीय सदस्य टैक्स बढ़ाने के बारे में ही बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है लेकिन जो टैक्स लगे हुये हैं वे उन पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उधर बैठने वालों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वे विरोधी दल की तकरीरों में खलल डाल रहे हैं, अगर वे ऐसा करेंगे तो विरोधीदल में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह किसी भी मंत्री को बोलने का अवसर न देगा।

श्री अध्यक्ष--- यह तो आपने ग़लत समझा। कोई जानबूझ कर खलल डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह हो सकता है कि उन्होंने जो शंका की वह ग़लत हो। दूसरी बात यह है कि माननीय नेता विरोधी दल का कोई समय भी सीमित नहीं है। इसलिये उन्हें कोई अड़चन होने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री राजनारायण---श्रीमान् आपका दृष्टिकोण व्यापक है। आप जिस तरह अर्थ समझते हैं वैसा ही समझेंगे लेकिन उनकी जो मनोवृत्ति थी उसको माननीय रामनारायण जी ने दर्शा दिया।

तो श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर इसको देखा जाय तो हमारा एक कथन है कि माननीय गृह मंत्री जी ने एक बार आपत्ति की थी पहली बार जब बजट पेश हुआ था तो मैंने कहा था कि इस बजट को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। महात्मा गांधी ने सन् ३८ में ही कहा था कि "बर्न दि फाइल्स"। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो, अगर विकास करना चाहते हो, अगर उन्नति करना चाहते हो तो इन फाइलों को जलाओ और तब तुम जा करके बुनियादी तौर पर, मौलिक ढंग से एक सही कदम उठा सकते हो और समाज का उत्थान और उद्धार कर सकते हो। यदि शतरंज की गोटियों का रंग बदल कर सरकार चाहे कि वह देश का विकास कर सकती है और जनता सरकार में आस्था भी प्रकट कर दे तो यह नामुमकिन है, असम्भव है। मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या मोहरों का रंग बदल देने से ही लोगों की वह भावना दूर हो गयी जो ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में जिलाधीशों के प्रति जनता की रहती थी। गांधी जी ने जिलाधीश के लिये छोटा वायसराय कहा था और लार्ड मेकाले ने सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया से उसकी तुलना की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिलाधीश की शक्ति जो ब्रिटिश साम्राज्य-शाही हुकूमत के समय में थी उस शक्ति में कुछ भी कमी हुई है?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---कमी हुई है।

श्री राजनारायण---माननीय परिपूर्णानन्द जी को जिलाधीश की शक्ति कम जरूर दिखलाई पड़ती है क्योंकि वे सरकार के बहुत नजदीक हैं। लेकिन आम जनता को दिखलाई पड़ता है कि उनकी शक्ति घटी नहीं है बल्कि बढ़ ही गयी है। हां, श्रीमन् अच्छा हुआ कि उन्होंने टोक दिया और आपने बता ही दिया है उनको कि समय की पाबन्दी नहीं है। तो श्रीमन् बनारस में तो अजीब मुसीबत है। मैं भी बनारस का ही रहने वाला हूं और माननीय परिपूर्णानन्द जी भी बनारस के ही रहने वाले हैं। वहां का जिलाधीश तो परेशान हो गया है। श्रीमन्, चूंकि बनारस प्राचीनकाल से ही बहुत पुराना तीर्थस्थान है इसलिये हमारे यहां तमाम मंत्री से लेकर और बड़े-बड़े अधिकारी लोग कोई न कोई काम लेकर तीर्थयात्रा के लिये बनारस चले ही जाते हैं। वहां का जिलाधीश जी हूजूरी जरूर ही करता है। एक दिन मुझे किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में जिलाधीश से मिलना था लेकिन वह मुझे नहीं मिल सके। दूसरे रोज उन्होंने बताया कि मैं क्या करूं। मैं तो परेशान हो गया हूं। कभी गवर्नर महोदय आये,

कभी मंत्रिगण आये, इस तरह से बराबर कोई न कोई आता ही रहता है। मैंने उनसे कहा कि यहां दो डी० एम० एक हिन्दू और एक मुसलमान, रखवा लें। क्योंकि एक हिन्दू पर्व पर जो मंत्रिगण आदि जायेंगे यह उनकी खातिरदारी करेगा और दूसरा जो मुसलमान रहेगा वह किसी मुसलिम पर्व पर कोई मुसलमान मंत्री आदि जायगा तो उसकी खातिरदारी करेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जिलाधीश और सरकारी कर्मचारियों को देखा जाय तो उसका एक नक्शा मैं इस समय इस आदरणीय सदन के सामने पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि जो ढांचा ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में था वही ढांचा आज भी कायम है। आप सेक्रेटेरियट को ही ले लें, सेक्रेटेरियट में क्या है? मैं नीचे से ही चल रहा हूं, टाइपिस्ट, रजिस्टर कीपर, रेफरेंस क्लर्क, ड्राफ्टर, सुपरिन्टेंडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी। यह ढांचा श्रीमन् जिस तरह नीचे से ऊपर चढ़ता है उसी तरह से ऊपर से नीचे आता है। ढाई तीन महीने हुये मैंने सिंचाई रेट के सम्बन्ध में एक पत्र माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को लिखा और दो महीने कई दिन के बाद मुझे उस पत्र का जवाब मिला। जब मेरे जैसे आदमी को इतने दिनों के बाद जवाब मिला तो साधारण आदमियों को जिनको दफ्तर की कोई विशेष जानकारी नहीं रहती है कितने सालों के बाद पत्र का जवाब मिलता होगा इसको वे ही जान सकते हैं। श्रीमन् तो यह नकशा हमने रखा और मैं चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य खुले दिल से तसलीम करें कि जो ढांचा, जो नकशा अंग्रेज यहां पर छोड़ कर गया था उसको तोड़ कर क्या कोई नई जिन्दगी पैदा की जा रही है? नई जिन्दगी हम नहीं पैदा कर रहे हैं बल्कि पुरानी शराब को किसी नई बोतल में रख कर नई जिन्दगी बनाने का स्वप्न देख रहे हैं और वह नहीं हो सकती।

इसके बाद मैं चाहता हूं कि एक-एक करके जो अपने उत्तर प्रदेश के बजट के खास-खास मदों के आंकड़े हैं उन पर भी अपने सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन कर दूं।

पहले मैं शिक्षा को लेता हूं। अगर हमारी सरकार होती तो क्या शिक्षा की नीति होती, हम किस तरह से समाज का नकशा बनाते यह तो मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा लेकिन बजट की जो हिन्दी की प्रति है उसका पेज १७ माननीय सदस्यगण निकाल लें। मुझे खुशी हुई थी जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने मास एजूकेशन की स्कीम चलाई थी। हम लोग समझते थे कि हमारे प्रदेश में भी जो आज अपढ़ हैं वह पढ़ लिख लेंगे शिक्षित हो जायंगे और कुछ अपने दिल के जजबात को लेखबद्ध कर सकने की शक्ति उनके अन्दर हो जायगी। इसके पहले कि मैं बजट के भाषण से उस अंश को पढ़ूं माननीय सदस्यों की खिदमत में कुछ उन आंकड़ों को रखना चाहता हूं जो कि दूसरे सूबे में हैं। ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष के लड़के जो बुनियादी तालीम पाने के हकदार हैं उनके बारे में क्या आंकड़े हैं देखिये। कोचीन में ९८.८, बाम्बे में ६४.०, मैसूर में ५७.०, मद्रास में ५२.० और उत्तर प्रदेश में ३४.०। हमारा प्रदेश अपने देश के दूसरे सूबों से भी कितना पिछड़ा हुआ है जरा इसके ऊपर हम ध्यान दें कि कहां कोचीन में ९८.८ और वहां उत्तर प्रदेश में ३४.०। रुपया जो एक व्यक्ति की शिक्षा पर खर्च होता है वह भी देखिये। ट्रावंकोर कोचीन में ३.६ रुपये, बाम्बे में ३.६ रुपये, मैसूर में ३.७ रुपये, मद्रास में २.१ रुपये लेकिन उत्तर प्रदेश में १.३ रुपये। यह हमारे शिक्षा का बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने संकेत किया है कि इसका उद्देश्य यह है कि विस्तार के साथ साथ शिक्षा की क्वालिटी पर जोर दिया जाय।

अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार की शिक्षा की नीति विस्तार की नीति थी और अब उत्तर प्रदेश की सरकार की शिक्षा की नीति क्वालिटी पर जोर दे रही है। क्वालिटी किसके लिये होगी, यह सदन के सम्मानित सदस्य खूब विचार करें। जिस

[श्री राजनारायण]

प्रान्त के अन्दर इतने गरीब हों, इतने असहाय हों, दरिद्र हों, निर्धन हों और वह भी ९० फीसदी की तादाद में हों तो उनके बच्चे कहां से शिक्षा लेंगे। उनके लिये तो पहले मास एजूकेशन होना चाहिये था, पहले उनको पढ़ना लिखना सिखाना चाहिये था और उसके बाद ही उनमें क्वालिटी का प्रश्न उठ सकता है। मगर यह सरकार चाहती है कि जो प्रभुता सम्पन्न हैं, जो धनी हैं उनके लिये तो ऊंची से ऊंची शिक्षा दी जाय। मगर जो गरीब हैं, जो प्रान्त के ९० फीसदी लोग हैं, उनके बच्चे निरक्षर ही रह जायं।

श्रीमन्, बहुत जोर दिया जाता है हरिजनोद्धार पर और हमारे बहुत से भाई भी उसी उद्धार की सीमा को चरम सीमा समझ कर प्रफुल्लित हैं और समझते हैं कि सरकार से बढ़ कर और किसी ने क्या मदद की है। हो लें प्रफुल्लित, लेकिन मैं उनको भी अगाह किये देता हूं कि हरिजनों का वह समुदाय जो इस सदन के बाहर है वह इसको भी अशिक्षित करने के लिये तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बुनियादी तालीम हरिजन के बच्चों के लिये मुफ्त होती है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुनियादी तालीम में हरिजन बच्चों की फीस कितनी माफ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि यह बुनियादी तालीम की बात है..

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, जो यह कहा गया है कि यू० पी० में बहुत से 'ऐसे विद्यार्थी' हैं जिनकी दर्जा ४ या ५ तक फीस माफ नहीं है, यह गलत है...

श्री अध्यक्ष—यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह तो आप इनफार्मेशन देना चाहते हैं।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का ऐसा ढांचा और ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये जिसमें कोई भी गरीब घर का विद्यार्थी इसलिये पढ़ने से वंचित न रह जाय कि उसके घर वालों के पास पढ़ाने के लिये आमदनी न हो। मगर हम देख रहे हैं कि इस समय जो अपनी नीति सरकार ला रही है उसमें इतने दोष हैं कि अगर मैं उनको गिनाऊं तो बहुत बड़ी पोथी बन जायगी। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो आंकड़ों की बात करते थे वे जरा बजट की ग्रान्ट्स निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसको मिलान कर लेंगे। जो सामाजिक सेवायें हैं उन पर मूल बजट में यह सरकार रकम कुछ ज्यादा रख दिया करती है। मगर साल के बीतते बीतते उसमें कुछ रकम बचा लेती है? जैसे मैं शिक्षा को लेता हूं, उसके बाद मेडिकल पर आऊंगा, फिर मेडिकल हेल्थ पर आऊंगा और डिटेल्ड आंकड़े आपकी इजाजत से इस सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

शिक्षा में १५ लाख रुपया बचाया गया। जो मूल बजट था उस बजट से साल के आखिर में इतना रुपया बचाया गया। मेडिकल में ५ लाख रुपया बचाया गया और पब्लिक हेल्थ में श्रीमन्, ११ लाख रुपया बचाया गया। यह तो सेवाओं की मदें हैं और इसके अलावा रुड़की इंजीनियरिंग में १५ लाख ३६ हजार में से १४ लाख ३६ हजार खर्च किया गया और एक लाख इसमें से भी बचाया गया।

अब मैं जरा डिटेल दे दूंगा ताकि हमारे इस सदन के सदस्य इस बात को आसानी से समझ लें कि जन सेवाओं की जो मदें मूल बजट में होती हैं उनका वास्तविक रूप आते आते सरकार उसमें से रकम बचा करके दूसरी मदों में खर्च कर देती है जिसकी जानकारी हमको दूसरे वर्ष के बजट के अवसर पर होती है: शिक्षा में ८ करोड़ ५५ लाख था और ८ करोड़ ४० लाख खर्च हुआ। मेडिकल में जहां २ करोड़ ४६ लाख था १९५३-५४ में, वहां २ करोड़ ४१

लाख खर्च हुआ और पब्लिक हेल्थ में ११ लाख कम खर्च हुआ। मलेरिया के सम्बन्ध में जहां ऐण्टी मलेरिया आपरेशन होना चाहिये वहां २२ लाख की जगह १७ लाख खर्च हुआ। सिनकोना प्राडक्ट्स के लिये जहां २ लाख ७६ हजार खर्चा होना चाहिये था वहां पर ८१ हजार खर्च किया गया। कुनैन फैक्ट्री में १ लाख २३ हजार की जगह पर साढ़े ४२ हजार खर्च किया गया। प्लेग के लिये ७ लाख ६० हजार की जगह ३ लाख ८० हजार खर्च किया गया।

एक सदस्य—प्लेग नहीं आयेगी।

श्री राज नारायण—अगर आयेगी तो हम ही लोग मरेंगे, आप तो बचे रहेंगे। तो श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पब्लिक हेल्थ में जिसमें ऐण्टी मलेरिया है, सिनकोना प्राडक्ट्स हैं, कुनैन फैक्ट्री है, प्लेग है और उसी के साथ ही साथ मैटरनिटी, चाइल्ड वैलफेयर है जिसमें १० लाख ८० हजार खर्च होना चाहिये था वहां ४ लाख ४७ हजार खर्च किया गया। टाउन ऐण्ड विलेज प्लानिंग में २ लाख २४ हजार की जगह १ लाख ५७ हजार खर्च किया गया।

यह वास्तविकता और वस्तुस्थिति है पब्लिक सेवाओं में जहां पर कि मूल बजट में ज्यादा रकम दिखाई जाती है और फिर आगे वास्तव में रकम कम हो जाती है। अगर इन सब को श्रीमन् हम जोड़ें तो ३१ लाख सेवा की मदों से निकाला गया। इस ३१ लाख में हमने श्रीमन्, रुड़की इंजीनियरिंग की मद नहीं जोड़ी है। अगर उसको जोड़ा जाय तो वह ३२ लाख हो जायगी। इसी के साथ-साथ अगर इसमें और जोड़ें जैसे, पशुपालन, तो पशुपालन में एक करोड़ ३६ लाख व्यय होना चाहिये और १ करोड़ २१ लाख व्यय हुआ यानी ५ लाख की उसमें भी कमी हुई। कोआपरेटिव में ६२ लाख १४ हजार व्यय होना चाहिये था लेकिन ६१ लाख ११ हजार व्यय हुआ, यानी वहां पर भी एक लाख की कमी हुई। इस प्रकार जो जन सेवा के काम हैं उन पर मूल बजट में इस सदन में अधिकाधिक रकम दिखायी गयी, मगर रिवाइज्ड बजट में करीब ३५ लाख की रकम कम हो गयी। यह रकम कहां गयी ?

श्रीमन्, मुझे डर है कि इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य किसी जज्बे में न आ जायं, इस जन सेवा से निकल करके बहुत सी रकम वहीं माघ मेला में चली गयी। इन मदों से बहुत सी रकम कम की गयी और माघ मेला यानी वही कुम्भ मेला में बढ़ा दी गयी। कुम्भ मेला की काफी चर्चा हुई है। उस पर मैं इस समय विवाद में जाना नहीं चाहता। मगर मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैटरनिटी वेलफेयर के लिये खर्च हो, जो प्लेग को रोकने में खर्च हो, मलेरिया जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा प्रकोप है उसके लिये खर्च हो, सिनकोना प्रोडक्ट्स के लिये खर्च हो, उसमें से कम करके दूसरी जगह आमदनी कहां बढ़ी है, यह भी मैं आदरणीय सदन के सदस्यों को अगर नहीं बताऊंगा तो मैं समझूंगा कि मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूं। श्रीमन्, यह रकम बढ़ी है जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में २ करोड़ ५५ लाख सन् १९५२–५३ में ऐक्चुअल है, और सन् १९५३–५४ में ३ करोड़ १६ लाख मूल बजट में है। पर यह जाते जाते ३ करोड़ ३३ लाख हो गये यानी ७ लाख सन् १९५३–५४ में बढ़ा। तो यह ७ लाख की बढ़ोत्तरी यहां हुई। इसके औचित्य को श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में जवाब देने आयेंगे, तो वह साबित करेंगे। अगले साल में कुछ कमी की गयी है। अगले साल में जो रकम कम है उसको मैं बता देना चाहता हूं सम्मानित सदस्यों को, कि अगले साल में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमी जरूर दिखाई गयी है, मगर वास्तव में वह कमी नहीं है। लैन्ड रिफार्म्स का जो मामला था उसमें ७४ लाख की एक मोटी रकम कम कर दी गयी है। उसी की वजह से कुछ कमी दिखलाई पड़ती है। अगर आदरणीय सदन देखे तो आगे के बजट में बढ़ोत्तरी है।

[श्री राजनारायण]

इसके अलावा कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन पर १ करोड़ ७२ लाख की जगह १ करोड़ ८० लाख व्यय हुआ यानी ८ लाख बढ़ा। अगले वर्ष जो सन् १९५४-५५ का बजट प्रस्तुत है उसमें १ करोड़ ८५ लाख रखा गया है डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन आदि पर। इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्य जानते होंगे कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यह शासन नहीं है, यह कुशासन है।

श्रीमन्, उद्योग विभाग के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी चर्चा की है इस सदन में। उद्योग विभाग को तो मैं बाद में लूंगा। अब मैं जरा जो मुख्य-मुख्य विभाग हैं, उनकी जो ट्रेजरी बेंचेज की नुक्ते नजर से अच्छाइयां हैं, उनको खिदमत में पेश करूंगा। शिक्षा पर मैं कह रहा था कि १५ लाख की बचत क्यों की गई। मूल से १५ लाख रुपया जो शिक्षा में बचाया गया तो श्रीमन् क्या औचित्य है अपने उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल को प्रेरित करके इतना बड़ा बावैला खड़ा कराने का जिसका शिकार यह बन्दा भी हुआ। शिक्षा की मद से १५ लाख रुपया निकाल कर दूसरी मद में खर्च किया गया और अध्यापकों की हड़ताल के समय जब कहा जाता था कि उनकी मांग जायज है, उनको रुपया देना चाहिये तब माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि विरोधी दल हमें दिखला दे कि कहां से हम कमी करें। लेकिन अब हम यह कहते हैं कि शिक्षा में से रुपया बचा कर सरकार की सत्ता को सुदृढ करने में यह खर्च हुआ। फिर श्रीमन् जो स्कूल के टीचर्स हैं जोकि ७० रुपये से कम तनख्वाह पाते हैं उन्हें ५ रुपये मंहगाई के सरकार देती है और ७५ तक ढाई रुपये देती है और सी० टी० और एल० टी० टीचर्स रखे जाते हैं। यह मंहगाई का भत्ता इतना कम हायर सेकेंड्री स्कूलों में क्यों दिया गया ? क्या औचित्य है सरकार के पास इसका जबकि दूसरे सरकारी विभागों में ज्यादा महंगाई का भत्ता मिलता है ? तो अध्यापकों को जिनको कि गुरुजन सरकार भी गुरुजन कहती है, वे गुरुजन जो कि भावी पीढ़ी को बनाते हैं उनके लिये महंगाई का भत्ता इतना कम दिया जाये यह किस उदारता और अनुकम्पा को सामने रख कर किया गया ? श्रीमन्, यह खर्च किया किसमें गया वह भी सुन लीजिये। इसमें है :—

"Apart from the Managing Bodies Committee a school Committee should also be formed which may consist of important parents, guardians or other members of public interested in the school affairs. The co-operation of members of the Legislature be also sought for this committee."

यह शासन को सुदृढ करने के लिये किया गया है। मैनेजमेंट कमेटी है। अब उसके बदले स्कूल कमेटी बनेगी। मैं श्रीमन् निहायत अदब के साथ आपके जरिये सम्मानित सदस्यों की सेवा में कहना चाहता हूं कि यह जो स्कूल कमेटी बनायी जा रही है हायर सेकेंड्री स्कूलों में यह अनुशासन को सुरक्षित नहीं रखेगी बल्कि यह इतना बड़ा विस्फोट करायेगी, इतना बड़ा राजनैतिक जाल बिछवायेगी जिससे बच सकना इस सरकार के लिये तो नामुमकिन होगा ही, सारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिये भी नामुमकिन होगा। इसी विधान सभा के सम्मानित सदस्य जाकर उन कमेटियों में बैठेंगे और सरकार की जो नीति होगी, चाहे सही हो या गलत हो, उसको कार्यान्वित करने के लिये उन पर अंकुश रखेंगे। इस तरह से अनुशासन नहीं रह सकता। फिर वहां के हेडमास्टर क्यों हैं, प्रिंसिपल क्यों हैं, मैनेजमेंट कमेटी क्यों है ? अगर सरकार इस तरह से शासन को सुदृढ करना चाहती है तो यह मैनेजिंग कमेटी के ऊपर डाइरेक्ट नोकाफीडेंस होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर जरा गहराई से विचार करे ताकि जो लखनऊ में छात्रान्दोलन हुआ और जो परिस्थितियां पैदा हुईं वे फिर न पैदा हों। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वह इसको जरा गहराई से देखे इसलिये नहीं कि राज नारायण कह रहे हैं विरोधी पार्टी के तो गलत ही होगा बल्कि उसको गहराई में जायं और अगर कोई गलत ही कहता हो तो गहराई से सोचने और देखने में, मैं समझता हूं कि वह गलत सही रूप में मालूम होगा। बेटर मैनेजमेंट के नाम पर जो मैनेजमेंट

में एम० एल० एज० रक्खे जा रहे हैं मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और पुनः कह देना चाहता हूं कि सरकार के इस कदम को नहीं चलने दिया जायगा। उत्तर प्रदेश की सचेत जनता अब इस सरकार का जो गलत कदम होगा उसका विरोध करेगी और दृढता के साथ विरोध करेगी वह अपना कर्त्तव्य और धर्म समझती है और उसको वह करेगी। श्रीमन्, यहां पर हमारे सामने कुछ और भी डाकूमेंट्स हैं लेकिन मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं केवल संकेत कर देना चाहता हूं। ग्रांट्स मार्च में मंजूर होती हैं लेकिन जनवरी में फाइनेलाइज क्यों की जाती है। बलिया में जब टीचर्स का स्ट्राइक हुआ था, मैं उसके गुण दोष में न जाकर इतना निवेदन करूंगा कि चाहे कोई कितनी ही बड़ी प्रभुता का मंत्री हो लेकिन उसको जिलाधीश से कहकर किसी अध्यापक को परेशान नहीं करवाना चाहिये। ऐंग्लो कालेज, फतेहपुर में मई से ग्रांट सस्पेंड है। क्यों है? जब कारण पूछा जाता है तो अगर मैं उस डाकूमेंट को पेश करूं तो श्रीमन् जी आप उसको पढ़कर हंसेंगे। मई में ग्रांट सस्पेंड है और कारण जुलाई और जनवरी का काम बताया जाता है।

इसके बाद श्रीमन्, यह तालीमगाह नस्वां हायर सेकेंड्री स्कूल लखनऊ है। उसके संबंध में मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित मंत्रीगण या कुछ मंत्री इससे काफी दिलचस्पी रखते हैं। यहां पर श्रीमन्, एक बाबू जो पहले किसी गवर्नमेंट डिपार्टमें था लेकिन वह करप्शन के अपराध में निकाला गया था मगर उसको भी स्कूल में रखा गया वहां से भी वह निकाला गया मगर उसको रीइंस्टेट कराने के लिये अनडयू दबाव डाला गया और उसको ढाई साल की तनख्वाह दिलाई गई। मैं चाहता हूं कि सरकार को इधर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिये क्योंकि ऐसे काम करने से न तो सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, न प्रांत में समाज ही तरक्की करता है।

श्रीमन्, जब मैं प्रांत के दूसरे जिलों के उदाहरण प्रस्तुत करता हूं तो मैं बनारस संस्कृत कालेज को नहीं भूल सकता हूं। वहां के प्रिंसिपल की रिक्वीजिट क्वालीफिकेशन्स तक नहीं रखते हैं। जब कि पहले बजट पर बोलते हुये मैंने इस बात की शिकायत की थी कि जब यहां के प्रिंसिपल की रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन्स नहीं रखते हैं तो वह कैसे यहां मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि फुटकर बातें जनरल डिस्कशन में नहीं आनी चाहिये। कटमोशन में आ जायं तो ठीक है।

श्री राजनारायण––मैंने इसलिये निवेदन कर दिया कि शायद उस समय सब मंत्री महोदय उपस्थित न हों और या संस्कृत कालेज विश्वविद्यालय बनने जा रहा है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के टीचर्स जो बहुत कम तनख्वाह पाते हैं और जो ८० हजार की तादाद रखते हैं उनकी तनख्वाह बढाने के लिये सरकार क्या कर रही है। एक तरफ हमारे जो लोग सर्विसेज में हैं वह भूखों मरें, परेशान हों और उनकी दिनचर्या ठीक न हो मगर सरकार क्वालिटी की खोज में इतनी परेशान है कि वह नई नई जगह रखकर परेशानी उठाने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अब इतने दिनों के अनुभव से तुगलकी नीति को छोड़े दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली वाली नीति को खत्म करे।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की तालीम के सिलसिले में अपने सूबेमें लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज हैं। ये यूनीवर्सिटीज कर्जे से लदी हुई हैं पर क्या सरकार उसके लिये अपना समुचित कदम उठा रही है। मैं समझता हूं कि सरकार समुचित कदम नहीं उठा रही है। सरकार दूसरी मदों से रकम काटकर और ज्यादा ग्रांट्स की गुन्जाइश कर दे। मगर जब मैं कहना चाहता हूं तो मुझे परेशानी होती है हालांकि मैं कहते हिचकता भी नहीं कि सरकार यह नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती मुझे तब परेशानी हुई जब कि कांग्रेस पार्टी जिसकी कि यह हुकूमत है, उसके प्रधान ने अपने

[श्री राजनारायण]

भाषण में यह कहा कि अगर विद्यार्थी हिंसात्मक कार्यवाही अख्तियार करेंगे तो हमें यूनिवर्सिटीज में ताला बन्द करना पड़ेगा और महात्मा जी की तालीम का श्रीगणेश करेंगे। जरा इसके विषय में विश्लेषण किया जाय। माननीय रामनरेश जी शुक्ल और हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। उन्होंने कहा कि "बहुत ठीक कहा"। बहुत ठीक है तो फिर होने दीजिये। फिर घबराते क्यों हैं? होने दीजिये हिंसात्मक कार्य। बढ़ने दीजिये अराजकता। और जब बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जायगी तो एक दिन वह आयेगा कि क्रांति होगी। क्या उस दिन की कल्पना कर रहे हैं माननीय राम नरेश शुक्ल? बिना उस दिन के देखे हुये अगर महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम जनहित में है, सस्ती है और अच्छी है तो उसे आज भी बिना एक मिनट की देर किये हमें कार्यान्वित करनी चाहिये। हम प्रधान हों, सारे देश के मालिक हों अगर हम किसी से यह रोना रोते हैं कि अगर विद्यार्थी हिंसात्मक क्रांति करेगा तो हम गांधी जी की तालीम को पसन्द करते हैं, इसलिये चलायेंगे। श्रीमन्, ऐसी बातों से कोई शान और मर्यादा नहीं बढ़ती।

मैं अब यह बताना चाहता हूं कि मेडिकल में, जैसा कि मैंने बताया, ५ लाख रुपया कम किया गया, उसके बारे जो यह बड़ी चर्चा की गयी है सेवाओं की कि बड़ी सेवायें की हैं, उसमें बताया गया है कि कुल २६ डिस्पेंसरीज ऐलोपैथिक और १५ आयुर्वेदिक की साल भर में खोली गयीं और अगले साल में २२ डिस्पेंसरीज खोलने का इरादा है, तो पहले तो इन २२ डिस्पेंसरीज खोलने का इरादा पूरा होगा या नहीं यह मुझे यही मुश्किल मालूम होता है और यदि पूरा भी हुआ, तो उसमें गरीबों का तो लाभ होने से रहा। तो आखिर इस बजट का दुरुपयोग इस तरह से क्यों कराया जा रहा है? ऐसा दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिये। क्योंकि आज यह हो रहा है कि देहात में कोई पागल है और गरीब है तो वह पागलखाने में भर्ती नहीं हो सकता, जबतक कि वह नियम के मुताबिक रुपया न जमा कर दे। यह पालिसी का सवाल है। मेरा ख्याल है कि जो गरीब हैं, उनके लिये ऐसी व्यवस्था हो कि वह अपने रोग को दूर करने के लिये उन शर्तों से मुक्त हों। इसी तरह से टी० बी० की बात है। मैं भुक्तभोगी हूं। अभी आजमगढ़ से एक सज्जन आकर पड़े हुये हैं, लेकिन उनके दाखिल होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गरीब हैं और उनका केस रेकमंड करने के लिये कोई माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हैं।

मैं इस सदन में इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार शिक्षा की नीति में विश्वविद्यालयों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं रखना चाहती तो सरकार के लिये लाजमी होना चाहिये कि सरकारी मंत्रीगण किसी भी मैनेजिंग कमेटी में हर्गिज हर्गिज भाग न लें। वही मंत्री बजट को बनायें और वही किसी विशेष विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष हों यह असहनीय बात है। उनमें आस्था प्रगट करने के लिये, विश्वास दिलाने के लिये, पार्टी पालिटिक्स को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि सरकारी मंत्री किसी ऐसी जगह पर न रहें।

शिक्षा के बाद, श्रीमन्, मैं पुलिस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह अपने प्रान्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और यह २२ पेज जरा सदन के सम्मानित सदस्यगण खोलें। श्रीमन्, मुझे गर्व प्राप्त है कि उस जिले के रहने का, जिस जिले के माननीय पुलिस मन्त्री जी हैं। नये सिद्धान्त और नयी थ्यूरी जब सामने आती है तो मेरा दिल गद्गद् होता है और जब मैं यह बजट पढ़ने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि यहां तो एक नये सिद्धान्त का दर्शन कराया गया। अब तक तो मैं जब माननीय पुलिस मन्त्री की पुस्तकें पढ़ता था तो दूसरी तरह की नजर आती थीं, मगर आज देखता हूं कि वह दूसरी ही चीज है। उन लाइनों को आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं।

"पुलिस के कर्त्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। समाज का कायम रहना और उन्नति करना बड़ी सीमा तक पुलिस पर निर्भर है। यानी समाज कायम ही नहीं रह सकता। पुलिस

अमन तथा शान्ति की रक्षा करती है। इस रक्षा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हर विकास और उन्नति की पहली चीज यह है कि शान्ति हो ताकि लोग बगैर किसी डर के काम कर सकें, जो उन्हें अपने समाज की भलाई के लिए करना चाहिए।" और हमारे ये नवीन द्रष्टा कहते कहते यहां तक कह गये कि अतः यह बात साबित हो जाती है कि पुलिस के खर्च को भी कौमी खर्च समझना चाहिए। श्रीमन्, यह एक नया सिद्धान्त हमारे सामने है कि यह कौमी खर्च है, पुलिस का खर्च कौमी खर्च है और समाज की रक्षा के लिए और समाज की उन्नति के लिए पुलिस का रहना बहुत ही जरूरी है। वह "स्टेट विल विदर अवे" की कल्पना कहां गयी। पतझड़ की तरह मुरझा करके वह राजतन्त्र बिखर जायेंगे, यह विद्यादान एक समय सम्पूर्णानन्द जी करते रहे, वह कल्पना आज कहां चली गयी जब कि वह कहते हैं कि पुलिस का खर्चा एक कौमी खर्चा समझना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत परेशान होता हूं, जब ये नये-नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते हैं और इन नये नये सिद्धान्तों के प्रतिपादन में एक ऐसी बड़ी कमजोरी को छिपाया जाता है जिस कमजोरी को कम से कम माननीय वित्तमन्त्री जी ने भी प्रकट कर दिया। मैं माननीय वित्तमन्त्री जी की इसके लिए तारीफ करता हूं कि यद्यपि उन्होंने फूटी ढोल को रखा अपने बजट भाषण में, मगर उन्होंने सच बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि दंगे फसाद बढ़ गये हैं, अपराधों की सीमा बढ़ गयी है। मगर इस औचित्य को साबित वह करते हैं कि अब यह कोशिश हो रही है कि लोग सही घटनाओं को लिखें। इस से क्या अर्थ निकलता है। इससे अर्थ यह निकलता है कि पहले छिपाये जाते थे, घटनायें छिपायी जाती थीं, अब जब इस सदन में बार बार कहा गया तो यह कुछ कोशिश हुई है कि घटनायें न छिपायी जायं। तो इसके लिए हम उनकी तारीफ करते हैं। मगर श्रीमन्, अगर इस कौमी खर्चे के नाम पर इस पुलिस को स्थायी बनाना चाहते हैं, और स्थायी बनाने जा रहे हैं तो मैं इसका सख्त विरोधी हूं और आपके जरिये माननीय पुलिस मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह माननीय सम्पूर्णानन्द जी की इस किताब को पढ़ें। सम्पूर्णानन्द जी की इस किताब को जब माननीय पुलिस मन्त्री जी पढ़ेंगे, तो उनको मालूम होगा कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा है कि जो सरकार जिस तरीके को अपने शासन को कायम रखने में अख्तियार करती है, सरकार को हटाने के लिए आम जनता भी विद्रोहात्मक कदम उसी तरीके से उठाती है। क्या पुलिस मन्त्री माननीय सम्पूर्णानन्द जी के उस कथन को भूल जायेंगे, उस विश्लेषण को भूल जायेंगे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता में वही भावना पैदा हो, जो माननीय सम्पूर्णानन्द जी के कथन को चरितार्थ करने के लिए माननीय पुलिस मन्त्री की बातों को मानने से इनकार कर दे।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं और यह तो यहां पर माननीय वित्त मन्त्री जी ने भी अपने भाषण में मान लिया है कि अपराधों की तादाद बढ़ी है। मगर मैं आज भी पुलिस मन्त्री जी की इसके लिए तारीफ करता हूं कि जो उन्होंने वस्तुस्थिति को न छिपाने की कोशिश की, और इसका कुछ फल हुआ, जिससे कि इसकी अधिक संख्या आयी, मगर वही अभी सत्य नहीं है क्योंकि यही घटनायें इतनी दूर तक छिपायी गयी हैं कि अब भी वह अधिकारी समझते हैं कि अगर सही रिपोर्ट रखी जायगी, तो यह प्रश्न आयेगा कि यह तीन चार गुनी कैसे बढ़ गयी, और तब इसका कोई जवाब नहीं रह जायगा। इसलिए वह अभी भी, इसके बावजूद भी, उन बातों को नहीं दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहां एक ही उदाहरण दूं। इसी लखनऊ में हरिहरनाथ हुक्कू का कत्ल हुआ। इसका पता नहीं। करीब आधे कत्ल ऐसे हो जाते हैं जिस पर कत्ल होने के बाद उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। उनका चालान नहीं होता और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि देवरिया के माधोशाही की चर्चा माननीय पुलिस मन्त्री जी अक्सर कर दिया करते हैं। आज इस बजट के सामान्य वादविवाद के अवसर पर अध्यक्ष महोदय मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि माधोशाही का दोष जो वह हमारे कुछ साथियों पर गाहे बगाहे मढ़ने की ओर संकेत किया करते हैं, जरा अब अपनी उस आदत को छोड़ें। उस बात को अब दोहराने की कृपा न करें। मैं भी मौजूद था जिस मीटिंग की चर्चा माननीय पुलिस मन्त्री किया करते हैं। मैं माननीय पुलिस मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मुझको

[श्री राजनारायण]

उस केस में फंसाने की कोशिश नहीं की गयी। वहां की कांग्रेस कमेटी पर्चे पर पर्चे निकालती है कि राजनारायण के भाषण से उत्तेजित हो कर यह कत्ल किया गया। जो सी० आई० डी० के अधिकारी इस केस की जांच करने गये थे वह मुझको पहचानते नहीं थे। वह उसी डिब्बे में बैठे थे जिसमें मैं बैठा था। उनसे जरा माननीय पुलिस मन्त्री जी पता लगायें कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थीं। मौका आयेगा तो मैं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि जरा वह मौका पड़े तो देखेंगे कि क्या क्या गुल खिलते हैं। एक महीने के बाद घटना हो, रात में बीस आदमी दरवाजे पर सोये हुए हों, फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में नौकर बताये कि कौन आया और किसने मारा उसको सारा पता नहीं है। उसमें फंसाने की नापाक कोशिश इस विधान सभा के माननीय सदस्यों को की जाय।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। क्या जब कोई केस सबजुडिस हो तो उसके सम्बन्ध में कोई हवाला दिया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने अभी बताया। उसका जिक्र अब नहीं होना चाहिए।

श्री राजनारायण---मैंने उसका जिक्र नहीं किया। माननीय पुलिस मन्त्री जी ने चार दिन पहले इसी सदन में जो कहा था उसी का मैंने जवाब दिया।

मैं चाहता था। मगर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय पुलिस मन्त्री जी से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका। माननीय पुलिस मन्त्री जी हमसे उस कौमी पुलिस के खर्च के लिए रुपया मांग रहे हैं, जो पुलिस आज तक न बता सकी कि दल सिंगार दुबे को किसने मारा था। दल सिंगार दुबे कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जो पुराने राजनीति के अखाड़िये होंगे, जिन्होंने स्वातन्त्र्य संग्राम में सक्रिय भाग लिया होगा, वे सभी उनसे भली-भांति परिचित होंगे, ऐसे व्यक्ति को जान से मारने की साजिश हो और पुलिस को आज तक पता न लगे कि किसने उन्हें मारा। वह दल सिंगार दुबे को जानते होंगे, जो अब भी दारुलशफा के एक कमरे में पड़े हुए हैं। अभी तक उनका पैर नहीं उठ सका। उस कौमी पुलिस के खर्चे को मैं कौमी खर्चा नहीं, उसे कौम का नाशक खर्चा समझता हूं।

श्रीमन्, इसी के साथ साथ, मैं आप की इजाजत से जो कौमी खर्चा है, और जिस पुलिस को कहा जाता है कि समाज की तरक्की के लिए लाजिमी है, जिसको मैं कतई नहीं मानता, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि माननीय पुलिस मन्त्री जी जरा और मुल्कों के बजट को देखें। अगर इंग्लैन्ड के बजट को देखा जाय तो वहां पर केवल ०.७८ प्रतिशत खर्चा होता है। तो क्या औचित्य है कि यहां की पुलिस पर ९ प्रतिशत खर्चा किया जाय। और तुर्रा तो यह है कि पहले साल की बनिस्बत इस साल और बढ़ गया है। जो रिवाइज्ड बजट है, उसमें पुलिस पर ७ करोड़ २ लाख रु० है और इस साल ७ करोड़ २१ लाख का अनुमान मांगा जा रहा है। अगर माननीय पुलिस मन्त्री अपने प्रतिभा का प्रयोग करके पुलिस के खर्चे को कौमी खर्चा न बतायें तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को कैसे राजी करें तो वहां पर सिद्धान्त आता है कि यह कौमी खर्चा है और समाज की तरक्की के लिए पुलिस का रखना जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा माननीय पुलिस मन्त्री जी से कि वह जरा इस खर्चे को घटाने की कृपा करें और क्यों नहीं पुलिस को आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाता है, क्यों उसको आज सेंट्रेलाइज किया जाता है। बार बार हमने कहा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक शक्ति का केन्द्रीयकरण रहेगा। सदन में कई बार कहा गया है कि गांव पंचायत राज्य जिला पंचायत-राज, और सूबा पंचायतराज और केन्द्रीय पंचायतराज को चौखम्बा राज्य के सिद्धान्त के ऊपर सारी हुकूमत को टिकाओ।

उत्तर प्रदेश में, श्रीमन्, जिस समय आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मन्त्री पद पर सुशोभित थे, ग्राम पंचायत राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय जितनी विरोधी पार्टियां थीं, सबने हार्दिक बधाई दी थी, मगर वह ग्राम पंचायत राज्य का स्वप्न कहां गया? क्या वह ग्राम पंचायत राज्य दिन ब दिन नियमों, उपनियमों से बंधता नहीं जा रहा है? जब मैं उस अनुदान पर आऊंगा, तो आपकी सेवा में उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

पुलिस ने आजमगढ़ के सत्याग्रह में जो तांडव नृत्य किया है, जिस तरह से जमींदारों से मिल कर किसानों की खड़ी फसलों को कटवाया है, उसे हम भूल नहीं सकते। माननीय मन्त्री जी जरा उधर भी ध्यान देंगे, ताकि पुलिस का वह जुल्म, वह अत्याचार इस समाज से मिटाया जा सके।

मैं, श्रीमन्, इसके बाद अभी अभी लखनऊ में जो गोलीकांड हुआ उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि किन किन लोगों को चोटें पहुंचायी गयीं, और उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। एक भी उदाहरण माननीय मन्त्री जी नहीं दे सकते। इसके साथ ही साथ श्रीमन्, उनको पुलिस का एक जीता जागता नमूना पेश करता हूं। पिछले इतवार को मैं बनारस गया था। वहां एक बहुत बड़ा महेन्द्रताल है। ३०० एकड़ का ताल है। वहां कुछ लोगों ने खावा बनवाना शुरू किया। कलेक्टर ने लिखा कि उनको खावा (डांड़ा) बनवाने से रोक दिया जाय। लेकिन एक हफ्ते के बाद भी थानेदार ने कलेक्टर के नोटिस को नहीं दिखाया। वहां के किसानों का जब खेमा बन गया, जब हमारी मीटिंग हुई तब जाकर नोटिस दिखाया। इस तरह की बातें होती रहती हैं। माननीय पुलिस मन्त्री मालूमात कर सकते हैं। बावजूद माननीय पुलिस मन्त्री की तमाम कोशिशों के जो ढांचा है, उसमें वह कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते।

अब इसके बाद मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर आता हूं। यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत व्यापक डिपार्टमेंट है। मैं इस पर बोलते हुए कुछ सकुचाता हूं। इस विभाग के माननीय मन्त्री जी इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन वित्त मन्त्री जी हैं। ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी के नाते मैं उनसे जानना चाहूंगा कि गांव पंचायत और जिला बोर्ड के चुनाव क्यों स्थगित कराये गये। गांव पंचायतों का और जिला बोर्डों का चुनाव नहीं हो रहा है। क्या यह नीति जनतांत्रिक प्रणाली की द्योतक है या तानाशाही? श्रीमन्, इस सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे, कि उनमें जनतंत्र प्रणाली में जो एक अवधि मुकर्रर कर दी जाती है, उस अवधि में चुनाव होना जरूरी होता है। लेकिन यह सरकार इस बात की आदी हो गयी है कि जब चाहे, जिस तरीके से चाहे चुनाव को टाल दिया करती है आगे बढ़ाती जाती है। एक मिनट के लिए भी अपने दिमाग में यह गवर्नमेंट नहीं सोचती कि चुनाव का टालना जरूरी है या गैर जरूरी। अभी श्रीमन्, चुनाव का इस तरह से टालने का जो दुष्परिणाम हुआ है वह यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज के चुनाव में जीत कर जो सम्मानित लोग मेम्बर हुए हैं वे आज भी जो लेजिस्लेटिव कौंसिल का चुनाव हो रहा है, उसमें भाग न ले सकेंगे। उसमें वही मेम्बर लोग भाग लेंगे जो छै बरस पहले चुने गये थे। जनतांत्रिक प्रणाली को जानने वाला कोई बुद्धू से बुद्धू भी यह नहीं कह सकता कि जो नये मेम्बर चुन कर आये हों, उनको तो वोट देने का अधिकार न हो, लेकिन जो ६, ७ बरस पहले चुने गये हों, उनको वोट देने का अधिकार हो।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी इस पालिसी के सवाल को एक प्रस्ताव के रूप में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दें और रिजोल्यूशन करें कि कांस्टीटचूशन में अमेन्डमेन्ट कर दिया जाय कि जो नये सदस्य हों, उन कमेटियों के मेम्बर हों, वे लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनाव में भाग ले सकें। अगर फर्ज किया जाय कि सरकार इस बात को नहीं करती तो वह लेजस्लेटिव कौंसिल के प्रश्न को ताक़ पर रखने को तैयार है, ऐसी बात कहने में किसी को हिचक नहीं है।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, अभी अभी समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव इन्डायरेक्ट करने का विचार कर रही है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव इन्डायरेक्ट क्यों हो ? अगर सरकार ऐसा विचार रखती है, जैसा कि समाचार पत्रों में लिखा हुआ है, तो सरकार अपने उस विचार को छोड़ दे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव डायरेक्ट होनेदे । उसको जिम्मेदारी दे। सरकार को सत्ता की जिम्मेदारी बांट देनी चाहिए और जनता का सही प्रतिनिधित्व होने देना चाहिए।

इसी के साथ साथ सरकार ने पांच बड़े शहरों में ऐडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त किये हैं और वह उन कबाल टाउन्स में नियुक्त किये गये हैं जहां कि कार्पोरेशन्स बनने वाले हैं। पता नहीं वह दिन भी कभी आयेगा कि कार्पोरेशन्स बन जायेंगे, लेकिन वहां की जनता पर सरकार ने खूनी पंजा लाद दिया है और जो चाहती है, वह ऐडमिनिस्ट्रेटर के जरिये से पूरी करती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां के चुने हुए प्रतिनिधि अयोग्य थे। अगर उनके अन्दर कोई योग्यता नहीं थी, या किन्हीं क्वालिफिकेशन्स की पूर्ति वे नहीं करते थे, तो यह सरकार को बताना चाहिए था। यह बात समझ में नहीं आती कि यह किस प्रकार से जनता के हित में था कि कार्पोरेशन्स बनाने के पहले वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त किये जायं। समझ में नहीं आता कि यह किस प्रजातंत्र की प्रणाली की परिभाषा में है। इसके अलावा मैं और कुछ बताना नहीं चाहता।

हमें पंचायती अदालतों के बारे में एक खासी लम्बी रिपोर्ट दे दी गयी है कि उन्होंने अपने मुकद्दमें फैसल किये। लेकिन पंचायती अदालतों में नामजदगी करने की कोशिश सरकार क्यों कर रही है ? यह नामजदगी की कोशिश हर्गिज हर्गिज बर्दाश्त न होगी। मैं सरकार को यह चेतावनी दे देना चाहता हूं और चाहता हूं कि इन दीवारों के भी कान हो जायं और इन शब्दों को तमाम जनता के पास पहुंचा दें कि अगर सरकार पंचायती अदालतों में नामजदगी करे तो जनता को सक्रिय कदम उठाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

श्रीमान् जी, मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में पंचायती टैक्स का भी जिक्र कर दूं। बनारस में जब कि आपकी प्रतिमा वहां उपस्थित थी तो वहां बनारस जिले के जितने भी प्रतिनिधि आये थे, उन्होंने कहा था कि टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए लेकिन आज पंचायतों को टैक्स लगाने के अख्तियार दिये गये हैं। पंचायतें जो आपके शासनकाल में बनी थीं, वहां मंत्रियों के नियुक्त करने में सरपंच की राय ली जाती थी, और उनकी नियुक्ति में सरपंच का प्रमुख हाथ होता था, लेकिन आज मंत्रियों की नियुक्ति ३ आदमियों की कमेटी करती है और उसमें गांव सभापति या सरपंच की कोई राय नहीं ली जाती। यह कहां का प्रजातंत्र है, यह कौन सी प्रजातंत्र प्रणाली है, ऐसा यह सरकार किस औचित्य से करती है। गांव पंचायत में जो बालिग हैं, वही वोटर हैं। अगर वे किसी टैक्स को अपनी इच्छा से लगाते हैं, तो फिर उसकी वसूली में परेशानी क्यों होती है। जब यह ऐक्ट बना था, तो यह गुंजाइश रखी गयी थी कि जनता अगर अपनी उन्नति के लिए कोई टैक्स लगाना चाहती है, तो लगाये, और अपनी राय से लगाये, लेकिन आज मंत्री महोदय पंचायत राज्य द्वारा, वहां टैक्स लगा दिया जाता है और सभापति के दस्तखत करा लिये जाते हैं। जब इस तरह से टैक्स लगाये जाते हैं, तो टैक्स की वसूली में दिक्कतें क्यों न होंगी। इसीलिए कुर्की होती है और अमीनों की तादाद बढ़ायी गयी है। कुर्की पर कुर्की निकाली जाती हैं, सूबे में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस मन्त्री के पास पुलिस फोर्स काफी है, जो कुर्की करके रुपया वसूल कर सकती है। लेकिन, जिस ढंग से, दमनकारी तरीके से ग्रामीण जनता को परेशान किया जा रहा है, अगर वही हाल रहा तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उसके द्वारा ऐसी क्रान्तिकारी जनता पैदा हो रही है, जो अवश्य ही सूबे में क्रान्ति उत्पन्न कर देगी।

अब म्युनिसिपैलिटी आती है, जिसमें शिक्षा विभाग और लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट दोनों का हाथ है। अभी अभी एक आदेश निकला कि जो म्युनिसिपैलिटीज के हायर सेकेन्डरी स्कूल्स चलते थे, वे हायर सेकेन्डरी स्कूल्स न रहें। म्युनिसिपैलिटीज का काम शिक्षा देने का नहीं है। श्रीमन्, लीजिये, यह एक नयी थ्योरी आ गयी। अजीब परेशानी है। पता नहीं यह कौन सा प्रजातंत्र है, पश्चिमी प्रजातंत्र है या पूर्वी प्रजातंत्र है। जब म्युनिसिपैलिटीज ५०–५०, ६०–६० वर्ष से शिक्षा दे रही थीं, तो सरकार के लिए ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि उसने यह आदेश निकाला कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा शिक्षा न दी जाय। यह देश को शिक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है या अशिक्षित ?

श्रीमन्, माघ मेले का जिक्र यहां भी आ ही गया। माघ मेले की दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी वी० आई० पी० कैम्प्स पर है। मगर जब माघ मेले में मन्त्री जी स्वयं मौजूद थे तो उनको वहां का निरीक्षण करके यह मालूम करना चाहिए था कि उन्हें क्या प्रबन्ध करना है। इस वी० आई० पी० कैम्प्स में कौन कौन लोग ठहराये गये ? और उन पर इस बजट का एक पैसा भी क्यों खर्च किया गया ? मैं इसकी इस समय चर्चा ज्यादा नहीं करता लेकिन अगर मौका आयेगा, तो इसकी विशद व्याख्या और चर्चा की जायगी।

इसके साथ ही साथ बेरोजगारी भी अपने प्रान्त में बड़े जोरों के साथ बढ़ती जा रही है। अगर माननीय वित्त मन्त्री जी के भाषण को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि उनके भाषण में बेरोजगारी के बारे में यह कहा गया है कि बेरोजगारी यहां है, यह बेरोजगारी दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है, यह कतई दूर हो जाय तो बहुत अच्छा हो, मगर इस तरह कहीं हटी नहीं है।

वाह रे बेरोजगारी ! बेरोजगारी बढ़ी या घटी ? माननीय वित्त मन्त्री को ये आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिये। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना, पहनना और मकान नहीं हैं ? अगर माननीय वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में आंकड़े बतलावेंगे, तो मालूम होगा कि प्रान्त में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है और भुखमरी की हालत पैदा हो रही है। इधर जो ओला पत्थर पड़ा है, उसके नतीजे से माननीय वित्त मन्त्री देखेंगे कि कितनी जनता अकाल के गाल में जायगी।

अब मैं जरा राज्य कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि सारे राज्य में २,४०,४३८ कर्मचारी का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इसमें उन्होंने बिलकुल गलत आंकड़े जोड़ कर केवल ५२,२८१ रुपया दिखाया है। अगर उसको ठीक तरीके से जोड़ेंगे, तो माननीय सदस्य देखेंगे कि वह १५,२२,८१,००० का है। मगर इसमें खर्चा जो है, वह डियरनेस को छोड़कर है। अगर इसकी ओर देखेंगे तो मालूम होगा कि इससे क्या झलक मिलती है। इसकी ओर भी मैं आना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज, सामान्य प्रशासन में, सरकारी कर्मचारियों में चाहे वे पुलिस के ही हों, आपस में प्रेम नहीं रह गया है। इसका मूल कारण है उनकी तनख्वाहों में बड़ी भारी विषमता। हमारे जूडिशल मैजिस्ट्रेट सब जगह मुकर्रर हुए हैं। उनका ग्रेड है ३००—५०० का जब कि वे डिप्टी कलेक्टर का काम करते हैं, जो ३००—८०० पाता है। उनमें बेचैनी है। वे कहते हैं कि आखिर वही काम हम करते हैं, तो फिर वेतन में यह विषमता क्यों है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को आप देखें। बहुत से रजिस्ट्रारों को मैजिस्ट्रेट का अधिकार है। यद्यपि बार एसोसियेशनों ने इनके काम के बारे में अच्छे प्रस्ताव पास किये हैं, तो भी सरकार ने उनकी कितनी तनख्वाह बढ़ायी है ? क्या यह अव्यवस्था, अराजकता और मनमानापन नहीं है ? कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरीके से नौकरियों में आपस में द्वेष सा पैदा सरकार ने कर दिया है और वे सन्तुष्ट नहीं हैं। श्रीमन्, हमने कुछ आंकड़े भी निकाले हैं। अगर ये ५०० रुपये तक सारे राज्य कर्मचारियों में हम बांट दें, तो इसके १ करोड़ के ऊपर खर्च में कमी पड़ जाती है ?

जब कि हम महंगाई बिलकुल छोड़ देते हैं। तीन दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि महंगाई का पूरा नक्शा हमें मिल जाता तो मैं बजट के अवसर पर बतलाता कि क्या मामला है।

[श्री राजनारायण]

१०८७ कर्मचारी ऐसे हैं जो ५०० रु० से ऊपर तनख्वाह पाते हैं। इन १०८७ कर्मचारियों को भी अगर पांच सौ दें, तो उसके बावजूद जो इनको महंगाई का भत्ता मिलता है, उसमें से एक करोड़ कई लाख रुपये की बचत होती है और अगर सरकार के पास कोई योजना है तो कैसी व्यवस्था हो सकती है सरकार को अपने कर्मचारियों को बतलाना होगा और उसकी एक योजना करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। केवल इधर उधर का हवाला दे देने से या एक दूसरे पर दोषारोपण करने से काम नहीं चल सकता है। आज इस तरह की छीछालेदर है कि तीन तीन वर्ष से चार चार वर्ष से मुकदमें पड़े हुए हैं और जब कोई सदस्य विधान सभा में सवाल पूछता है, तो इधर उधर से करके उसका हवाला टाल दिया जाता है। माननीय वित्त मन्त्री जी ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों के सामने चकाचौंध करने वाला नक्शा सामने रखकर उनको गुमराह करना चाहते हैं। इस चकाचौंध से न तो माननीय मन्त्री जी का कल्याण होगा, न इस सूबे का और न इस विधान सभा के सम्मानित सदस्यों का।

श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं तो मैं यह हालत भी छोड़ कर नहीं जाना चाहता हूं कि जो ऊंची तनख्वाह पाने वाले नौकरी में लोग हैं वे सोचें कि विरोधी पार्टी अगर पावर में आयेगी, तो उनकी तनख्वाह पहले ही कम कर देगी। यह चीज अगर मैं छोड़ दूं तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ा वातावरण पैदा हो सकता है और सरकारी कर्मचारी नाराज होकर कोई दूसरा ही रवैया अख्तियार कर सकते हैं। "Example is better than precept" दूसरों को नसीहत देने के पहले अपने को उसका एक उदाहरण बना लो। तो मुझे अपने आदरणीय मंत्रियों से यह निवेदन करना है कि पहले वे अपनी तनख्वाहें कम करें। श्रीमन्, आज लोगों को भूलभुलैये में डालकर १५ सौ से १२ सौ और इनकम टैक्स फ्री, यह उनको शोभा नहीं देता है। मैं तो चाहता हूं कि अगर आप गांधी जी को मानते हैं, उनकी परम्पराओं पर चलते हैं तो माननीय वित्त मन्त्री जी को चाहिए कि जब वे उस सदन में जवाब देने के लिए खड़े हों, तो इस बात का एलान करें कि सरकार ५ सौ रु० से ज्यादा किसी मन्त्री को तनख्वाह नहीं देगी।

श्रीमन्, जब ट्रेजरी बेंच के एक सम्मानित सदस्य अपने मुखारबिन्द से आचार्य नरेन्द्र-देव जी के लिए कहते हैं तो .....

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)---ट्रेजरी बेंच का कोई नहीं था। इत्तिफाक से माननीय परिपूर्णानन्द जी थे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपकी इजाजत के बिना इनको बोलने का क्या अधिकार है? अच्छा जब यही बोलते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष----क्या आप उन्हें सुनना पसन्द करते हैं?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब से यह बोलने लगे आपकी बिना इजाजत के तो मैं बैठ गया था। माननीय मन्त्री जी जरा धीरज रखें, उनको मौका है। पांच सौ से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनमें से बहुतों से मेरी बातचीत हुई है। अगर इस राज्य के प्रधान, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री या दूसरे सम्मानित सदस्य अपने खर्च में कमी करें, अपने गमनागमन के सामान, सुसज्जित भवनों में कमी करें तब उनके अन्दर जाकर यह भावना पैदा होगी और तब जाकर वे समझेंगे कि हां, आज हमारा देश गरीब है इसलिए हमको पांच सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेनी चाहिये। श्रीमन्, जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ गैर मुल्कों के आंकड़े भी पेश कर दूं क्योंकि इस सदन के सम्मानित सदस्य और माननीय मन्त्रिगण यह सोचेंगे कि वह इसी मुल्क के लिए कह रहे हैं। अभी अभी मैं एक लेख स्कैन्डिनेविया

के सम्बन्ध में पढ़ रहा था। वहां पर श्रीमन्, आम जनता और मंत्रियों में १ और २.९ का अनुपात है। एक मजदूर वहां ८ हजार क्रोनर पाता है तो वहां का एक मन्त्री २२ हजार क्रोनर पाता है। इस सदन के माननीय नेता और हमारे कई सदस्य इस तर्क का विरोध करने के लिए खड़े होंगे, तो वे ऐसे आंकड़े दे देंगे जिससे इस ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को भास न हो कि यहीं के मन्त्री लोग ज्यादा लेते हैं बल्कि और मुल्कों के लोग भी ज्यादा लेते हैं। भाई, अगर इस तर्क को मैं मान भी लूं, तो हमारा मुल्क तो बहुत ही गरीब है। जहां की पर कैपिटा आमदनी २६० रु० है, वहां के मंत्रियों को अपने ऊपर ६ हजार मासिक खर्च करने का क्या अधिकार है?

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य को इन बातों से ठेस पहुंची हो, तो वह माफ करेंगे। मैंने किसी व्यक्ति के लिए या किसी मंत्री के लिए संकेत करके नहीं कहा है, लेकिन मेरी यह सामान्य नीति का सवाल है और मैं इसको जोर देकर कहना चाहता हूं कि तनख्वाहें जो इस सरकार ने बढ़ायी हैं, उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए महात्मा गांधी का नाम भी न लिया जाय। सन् १९४७ में "एक भारतीय गवर्नर" शीर्षक से महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय गवर्नर को कैसे रहना चाहिए। अगर हमारे माननीय मंत्रिगण उस लेख को पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि क्या उनका पांच सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह लेना जायज़ है। श्रीमन्, बजट में बताया गया है कि विधान सभा की कार्यवाहियों पर ५० लाख रुपया कम खर्च होगा। जितना ही कम हमारे विधान सभा के कार्य पर उतना ही ज्यादा हमारे विधान परिषद् में। यह समझ में नहीं आता अगर गौर करके देखा जाय तो गवर्नमेंट हाउस के पर्दों पर कितना खर्च हुआ है। श्रीमन्, इस गरीब मुल्क की जनता के धन का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब गरीब मुल्क की जनता की नेशनल इन्कम कम है, तो उसमें हमें चाहिए कि हम भी अपने ऊपर नियंत्रण रखें।

श्रीमन्, अभी हाल ही में आस्ट्रिया के एक एम० पी० पीटर स्ट्रासर जब कि यंग सोशलिस्ट लीग के सेमिनार में आये थे। वे विधान भवन में हमारे मुख्य मन्त्री जी से मिले और वे सब साथ-साथ मुख्य मन्त्री जी से मिले थे। मुख्य मन्त्री जी ने उनसे बातचीत के दौरान में कहा कि हम भी समाजवाद में विश्वास करते हैं, मगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर नहीं हैं। पीटर स्ट्रासर ने बाहर आकर हम से कहा कि तुम्हारे मुल्क के कांग्रेस साइट में और हमारे मुल्क के कंजरवेटिव (अनुदारवादियों) में इतना ही फर्क है कि हमारे मुल्क का कंजरवेटिव इस बात को नहीं कह सकता कि वह भी समाजवाद में विश्वास रखता है, जब कि तुम्हारे राज्य का रहने वाला कंजरवेटिव मुख्य मन्त्री कह सकता है कि वह समाजवाद में विश्वास करता है और यदि वह समाजवाद में यकीन करता है तो यहां के लिए यह बड़ा अच्छा है। श्रीमन्, पीटर स्ट्रासर से मैंने निवेदन किया था कि भाई यह और भी दुखप्रद है। तुम्हारे यहां का कंजरवेटिव कहता है कि वह समाजवाद में यकीन नहीं करता मगर जहां पर समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाला मुख्य मन्त्री, समाजवादी व्यवस्था को मूर्तिमान स्वरूप न दें, वहां (विरोधी दल) अपोजीशन का रोल कितना मुश्किल हो जाता है। इसकी कल्पना आप भी श्रीमन् सहज ही कर सकते हैं और माननीय सदस्य भी कर सकते हैं। इसी को मैं हिपोक्रेसी कहता हूं।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपील की है और अगर मैं श्रीमन् उनकी अपील का जवाब न दूं तो मैं नाशुक्रगुजार हूंगा। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपील की है, और मैं भी मानता हूं कि उन्होंने तहेदिल से अपील की है कि विकास योजनायें हो रही हैं और प्रदेश की इस हालत को सुधारने के लिए वह तमाम पार्टियों से, तमाम लोगों से अपने प्रान्त में तमाम रहने वाले नागरिकों से अपील करते हैं कि उनका हाथ बटावें। श्रीमन्, बड़ी खुशी होगी अगर हाथ बटाने की परिस्थिति पैदा हो। मगर मैं साफ कहना चाहता हूं और हमारे दिल में किसी प्रकार की हिचकिचाहट और संकोच नहीं है, कोई शुबहा नहीं है कि हम ही क्या कोई भी क्रान्तिकारी विचार रखने वाला व्यक्ति या पार्टी सहयोग नहीं दे सकता। क्यों? श्रीमन्, सहयोग

[श्री राजनारायण]

की कहानी बड़ी लम्बी है । जहां तक कांग्रेस का सवाल है, श्रीमन्, कांग्रेस जब एक राष्ट्रीय मोर्चा थी, तब हम कांग्रेसी थे । मगर जब कांग्रेस एक पार्टी का स्वरूप बन गयी, तो हमारी पार्टी अलग हो गयी । हम तो वहां साथ थे । हम तो साथ रहकर के अलग हुए हैं । हम तो उन कमियों को, उन खामियों को, उन त्रुटियों और उन दोषों को समझ करके अलग हुए हैं । हम उस मनोवृत्ति को समझ करके अलग हुए हैं, हम तो कहते हैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कि हम सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, वे मिलावें । मगर क्या अध्यापकों पर गोली चला करके, विद्यार्थियों पर गोली चला करके किसानों पर गोली चला करके और उनकी खड़ी फसल को कटवा करके हाथ मिला सकते हैं ? ऐसा हाथ तो श्रीमन् वही मिला सकता है जो अवसरवादी होगा या जो दकियानूसी विचार से ओतप्रोत होगा । श्रीमन्, हमारे परिपूर्णानन्द जी जयप्रकाश जी का नाम ले रहे हैं । मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं । अगर मैं उनकी बात का जवाब इस सदन में न दूं तो शायद वह अपना तिरस्कार समझें । इसलिए श्रीमन्, जय प्रकाश नारायण जी का १४ प्वाइन्ट का प्रोग्राम.....

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, माननीय विरोधी दल के नेता तकरीर देते देते अपनी मोछों पर ताव देते हैं, क्या यह मुनासिब है ।

श्री अध्यक्ष---मुंह को मोछों से तकलीफ होने पर यह करना ही पड़ता है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह मोछों पर ताव देना मुझे मुबारिक हो और चरण रज लेना माननीय चरण सिंह को मुबारिक हो । इस तरह से श्रीमन्, क्रम टूट जाता है ।

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जयप्रकाश जी के १४ सूत्री कार्यक्रम में वे अपना चेहरा साफ देखेंगे । अब भी क्यों उन्होंने अपनी आंखें मूंदकर रखी हैं । जयप्रकाश जी के १४ सूत्री कार्यक्रम को समझना चाहिए । पहले जवाहरलाल जी उनके १४ सूत्री कार्यक्रम को माने होते, तब जयप्रकाश जी विचार करते कि वह सहयोग करेंगे या नहीं, यह तो तमाम दुनिया में जाहिर है । किसी कोने से आवाज आ रही है कि मन्त्री बन जायेंगे । [..... .....] अगर जयप्रकाश जी को मन्त्री बनना होता, नरेन्द्रदेव को मन्त्री बनना होता, डा० राम मनोहर लोहिया को मन्त्री बनना होता या आचार्य कृपलानी को मन्त्री बनना होता .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि दूसरे लोगों का यहां पर जिक्र करना अनुचित है । अगर इस तरह से नाम लिये जायेंगे, तो वह जवाब देने के लिए बाध्य हो सकते हैं । इससे गड़बड़ी हो जायगी । इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर सदन के बाहर वालों का नाम न लिया जाय ।

श्री राजनारायण---तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय वित्त मन्त्री जी अपनी नीति को सुधारें । माननीय वित्त मन्त्री जी जनहितकारी काम करें । माननीय वित्त मन्त्री जी देहातों के सुधार के काम करें । माननीय वित्त मन्त्री जी जमीन का बटवारा करें । माननीय वित्त मन्त्री जी उद्योग-धन्धों का समाजीकरण करें और माननीय वित्त मन्त्री जी कम से कम सर्विसेज में एक और दस का अनुपात निश्चित करें, यानी बड़ी से बड़ी आमदनी अगर १० हो तो छोटी से छोटी आमदनी १ हो । यह मोटी मोटी बातें हैं । इन बातों को पहले माननीय वित्त मन्त्री जी करें, तब कहीं क्रान्तिकारी विचार का व्यक्ति सहयोग देने की बात पर सोच सकता है । वैसे तो सोचने की कोई बात भी नहीं उठती । मैं आपको बताऊं कि

[ ] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार यह वाक्य हटा दिया गया ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी की तबीयत खराब थी। मैं वहां गया था। माननीय वित्त मन्त्री जी भी वहां बैठे थे। उस समय जयप्रकाश जी और जवाहरलाल जी की बातचीत पर चर्चा चल रही थी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि अब यह बातचीत फलित होगी। मैंने कहा कि पहले हम और आप अध्यापकों के आन्दोलन को मूव करें। अध्यापकों को आप ठीक तरह से तनख्वाह दीजिये। वे तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मुकर गये।

बजट के आंकड़ों से मैंने दिखा दिया कि उसी साल ३५ लाख रुपया सेवाओं की मदों से निकाल करके सुरक्षा की मदों में खर्च किया गया। मैं यहां पर बैठते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी की भावनाओं की क़द्र करूंगा, चूंकि माननीय वित्त मन्त्री जी चाहे गलत ही समझते हों मगर वे अपनी उन गलत भावनाओं में भी इतना मजबूत हैं कि वे अपील करने का भी साहस करते हैं। कैसे साथ दिया जाय? कैसे मुल्क सरकार का साथ दे? क्यों आज सरकार की विकास योजनाओं में जनता का हाथ नहीं है। चाहे यहां पर रिपोर्ट आ जाय, पन्ने भर दिये जायं कि इतने लाख मील सड़कें बन गयीं, मगर परसाल इसी सदन में मैं साफ कर चुका हूं कि तीन चार जिलों में सड़कें नहीं बनी हैं और सेक्रेटरियों ने रिपोर्ट भेज दी है कि पक्की सड़क बनायी गयी। श्रीमन्, विकास योजनाओं पर बहुत ज्यादा कहा जा चुका है। अहरौरा बांध के टूटने की कहानी अभी सब भूले नहीं हैं, वह मिर्जापुर जिले में है। मैं इतना ही कहकर उस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता, क्योंकि दूसरे लोग उसका कुछ और अर्थ लगाते हैं। मगर मैं अपने सम्मानित मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा इन बातों की ओर ध्यान दें कि किसी घटना के हो जाने के पूर्व जो उनके यहां शिकायतें आती हैं, जो उनके यहां बातें कही जाती हैं, उस पर वे अगर ज्यादा ध्यान देंगे, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। श्रीमन्, कुम्भ इन्क्वायरी कमेटी (दुर्घटना जांच समिति) के सम्बन्ध में आप देखेंगे कि बाजपेयी जी का बयान आया और उन्होंने नौ सौ कई मृत्यु के बारे में चर्चा की, मगर मैं उधर जाना नहीं चाहता। यह समय बतायेगा कि वस्तुस्थिति क्या है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि न्याय के नाम पर जो आज चार सदस्य बन्द हैं, वे श्रीगेंदा सिंह जी हैं, श्री नारायण दत्त तिवारी जी हैं, श्री अवधशरण वर्मा जी हैं, और श्री राजवंशी राय जी हैं। वे क्यों बन्द हैं? इनका क्या अपराध है? क्या इनका दोष है? हमको धीरज का पाठ पढ़ाया जाता है। हमको धमकी दी जाती है कि यहां पर वह सशक्त पुलिस है कि वह जो अराजकता फैलाने वाले हैं, जो जनता को बागी बनाने वाले हैं, उनको कुचल दिया जायगा। वह जमाना हम भी देखेंगे और उन कुचले जाने वालों में सबसे पहले हम भी अपनी गर्दन कुचलवाने के लिए तैयार होंगे। मगर श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि मैं अन्याय के विरोध में, जोर जुल्म के विरोध में, पुलिस के मुकाबिले में अपनी गर्दन पहले बढ़ाऊं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि "Parity must be established between industrial produce and agricultural produce" [औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में समानता कायम होनी चाहिए] खेती से पैदा होने वाले धन और उद्योग से पैदा होने वाले धन की कीमत में समानता हो।

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में कहिये।

श्री राजनारायण—वही कह रहा हूं, श्रीमन् कि खेती से पैदा होने वाले धन में और औद्योगिक कल कारखानों से पैदा होने वाले धन में सन्तुलन स्थापित होना चाहिए। केवल यही एक मांग है माननीय गेंदा सिंह जी की, केवल यही एक मांग है माननीय नारायणदत्त जी की, केवल यही एक मांग है माननीय अवधशरण वर्मा जी की। यह मांग क्या नाजायज है? हमारे अर्थ शास्त्री, हमारे वित्त शास्त्री, हमारे बुरजुआ थिंकर (पूंजीवादी मनोवृत्ति से प्रभावित विचारक) क्या इस मांग को कि दामों में सन्तुलन हो, समानता हो, न्याय के आधार पर काटेंगे। मैं समझता हूं कि यह १८वीं या १९वीं सदी नहीं है। श्रीमन्, अब तो अर्थशास्त्र इतना विकसित और साफ हो चुका है कि हर एक आदमी को उसके औचित्य और अनौचित्य

[श्री राजनारायण]

को समझने में आसानी होती है। श्रीमन्, मेरा यही कहना है कि किसान गन्ना पैदा करता है और वही गन्ना कारखानों में जाकर अपनी शक्ल को रूपांतरित कर देता है चीनी में। गेंदा सिंह जी कहते हैं कि किसान के गन्ने के उत्पादन में उसकी जो लागत होती है, वह भी उसे नहीं मिलती। वह उसे मिलना चाहिए। सरकार कहती है कि हम उसे वह दाम नहीं देंगे। तो इसमें किसकी गलती है। माननीय गेंदा सिंह जी की गलती है, या सरकार की गलती है।

श्रीमन्, मैं इसे इस सदन के सम्मानित सदस्यों की सद्बुद्धि पर छोड़ता हूं। चाहे टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट हो, चाहे रिसर्च इन्स्टीटचूट, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, उसकी रिपोर्ट हो, गवेषणा समिति जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है, उसने यहां तक साबित कर दिया है कि १ रुपये १० आने फी मन गन्ने में किसान की लागत लगती है। फिर १ रु० १० आने फी मन से कम देना, जोकि उसकी लागत है, यह कहां का न्याय है? यह कहां का औचित्य है? इसके बाद श्रीमन् किसान को भी न मिला। जब १ रुपया १० आने लगता है, तो कुछ तो मुनाफा देंगे। १ रु० १२ आ० मांग करते हैं श्री गेंदा सिंह जी। १ रु० १२ आ० फी मन गन्ने की कीमत के लिये किसान पंचायत मांग करती है। तो यह सरकार कहती है, वित्त मन्त्री जी कहते हैं, उद्योग मन्त्री जी कहते हैं ये तो एजिटेट (भड़काते) करते हैं। ये बहकाते हैं। मैं चाहूंगा, श्रीमन् कि इसको ठंढे चित्त से ख्याल किया जाय और अगर ठंढे चित्त से कार्य करेंगे हमारे आदरणीय वित्त मन्त्री जी तो हमको तनिक भी शक नहीं है कि वे भी उसी रास्ते पर आयेंगे, जिस रास्ते पर हम हैं। श्रीमन्, महात्मा गांधी ने कहा था कि जितनी लागत होती है, किसी वस्तु के निर्माण में उससे ज्यादा जो सरकार टैक्स लेती है, वह सरकार पापी है। तो यहां की चीनी में यही हालत है। एक मन शक्कर प्रोडयूस करने में ४ रु० कुछ आने ही सब खर्च होते हैं, जिसमें पेराई, पकाना, ईंधन, तमाम चीजें शामिल हैं और ४ रुपये कई आने सरकार का टैक्स हो जाता है। यह कहाँ का न्याय है। मगर सरकार कहती है कि वह न्यायी है और जो किसानों के हक को मांग करे वह अन्यायी, वह अराजकता फैलाता है। तो इसे हम क्या करें? इन बातों को लेकर अगर हम चाहें कि हमारे सूबे में आर्डर रहे तो मैं निवेदन करूंगा निहायत अदब के साथ कि आर्डर नहीं रह सकता चाहे माननीय पुलिस मन्त्री जी अपना बजट चौगुना कर दें।

किसी देश की जनता की आवाज को वहां की पुलिस और फौज नहीं रोक सकती। अगर ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट्स की फौज जनता की आवाज को दबा सकती होती तो आज भारत स्वतंत्र न होता। जनतंत्र की भावना जब बढ़ती है, तो इस तरह की दकियानूसी हुकूमत उसमें जल कर खाक हो जाती है। तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अगर टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट मानें, तो १ रु० ४ आ० मन गन्ना की कीमत रख कर उसने २० रु० कई आने चीनी का दाम निश्चित किया, १ रु० ७ आ० मन गन्ना की कीमत पर २४ रु० मन चीनी का दाम निश्चित किया और १ रु० १० आ० मन गन्ना के दाम पर चीनी का दाम २७ रु० मन रखा गया। यह तो टैरिफ बोर्ड की सिफारिश है। फिर मोलैसेज (छोवा) के दाम कितने कट जाते हैं। तीन मन चीनी में एक मन मोलैसेज, जूसी हो जाती है, और १ आना कई पाई से लेकर ३ आने मन तक मोलैसेज का दाम कटं जाता है। मिल मालिक, हम सब जानते हैं, श्रीमन्, १ रुपया, डेढ़ रुपया दो रुपया मन जूसी बेचते हैं। मगर यहां पर यह हालत है कि जब हम इस उचित मांग को करते हैं तो हमें दोष दिया जाता है, कहा जाता है कि हम जनता को भड़काते हैं। अगर ऐसे कामों को भी हम बर्दाश्त कर लें तो हम समझते हैं कि कोई भी सद्बुद्धि वाला व्यक्ति हमें ईमानदार नहीं कहेगा, हमें कोई भी सद्बुद्धि वाला व्यक्ति आजाद मुल्क का रहने वाला नहीं कहेगा। इस लिए इस सम्मानित सदन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन इन चीजों को अपनी दृष्टि में रखते हुए कोई ऐसे बजट का निर्माण करे, ऐसे कर लगाने की व्यवस्था करें और प्रणाली चलाये जिस पर चल कर हमारे प्रान्त का उद्धार हो, हमारी जनता का कल्याण हो। आज जनता जो मुसीबत में परेशान है, जो तबाह है, जो चारों तरफ बढ़ते हुए कर के बोझ से

रहती चली जा रही है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी जा रही है उस से उसका उद्धार हो, उससे उसका कल्याण हो। यही आशा रख कर हम चाहते हैं कि माननीय वित्त मन्त्री जी हमारे सुझावों का ख्याल करेंगे और यह समझ कर ख्याल न करेंगे कि किसी एक विशेष व्यक्ति, वित्त मन्त्री के प्रति हमारी यह भावना है बल्कि सारी की सारी कांग्रेसी सरकार के प्रति हमारी यह भावना है और हम इसको निश्चयपूर्वक कहने के लिए तैयार हैं कि अगर यह सरकार जनता को इसी रास्ते पर चलायेगी तो जनता डूबेगी। इस लिए चाहे वह हरिजनोद्धार हो, चाहे जनता का उद्धार हो, चाहे गरीबी को मिटाने का रास्ता हो, उसको सफल बनाने के लिए इस सरकार को मिटाना जरूरी है।

(इस समय ६ बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि अधिकतर मुझे यहां बोलने का अवसर श्री राज नारायण जी के भाषण के पश्चात् ही मिलता है। माननीय वित्त मन्त्री का सालाना आइना एक बार फिर से हमारे सामने पेश हुआ और हमें अब यह देखना है कि क्या इस वर्ष से पिछले वर्ष के आइने के मुकाबले में क्या परिवर्तन है और क्या पिछले वर्ष से इस वर्ष कुछ तरक्की हुई है या नहीं। हमें यह भी देखना है कि जो तस्वीर माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस आइने में खींची है, क्या वह तस्वीर वास्तव में एक सन्तोषजनक चित्र है या केवल मात्र एक इल्यूजरी पिक्चर है।

विभिन्न अनुदानों के बारे में इस समय अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब अनुदान अलग अलग लिये जायेंगे, उस समय मुझे उनके बारे में कहने के लिए अवसर अवश्य मिलेगा। इस समय तो हमको मुख्यतः यह देखना है कि इस वर्तमान सरकार की नीति से विशेष कर इसकी आर्थिक नीति से हमारे प्रदेश के फाइनेन्शियल स्टैबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है। हमें यह भी देखना है कि सरकार जो कार्यवाही कर रही है, क्या वह उचित कार्यवाही है और इस समय सदन से जो पैसे की मंजूरी मांगी जा रही है, क्या वह दी जाय या नहीं। इस पर ग़ौर करने के बाद हमें यह भी देखना है कि सरकार की नीति इस सम्बन्ध में सही है या नहीं। क्या यह नीति ऐसी तो नहीं है जिसके परा करने की चेष्टा में इस प्रदेश की आर्थिक दशा बिगड़ जाय।

इस बजट के सम्बन्ध में हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो अपना भाषण दिया है उस पर मैं पीछे आऊंगा। पहले मैं अध्यक्ष महोदय, इस सदन का ध्यान विशेषकर उन आंकड़ों की ओर ले जाना चाहूंगा जो इस जनरल डिस्कशन के सम्बन्ध में कहे गये थे। सब से पहले मैं रेवेन्यू रिसीट्स की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। आंकड़ों की एक सरसरी तौर से जांच करने से यह प्रतीत होता है कि रेवेन्यू रिसीट्स में थोड़ी बहुत आमदनी हर साल बढ़ती जा रही है। सन् १९५२–५३ ई० में ६४ करोड़ ८२ लाख रुपये थी। इसके पश्चात् १९५३–५४ में बजटिंग रेवेन्यू रिसीट्स के अनुसार ७३ करोड़ ५१ लाख यानी ८ करोड़ ७१ लाख की बढ़ती हुई है। इस वर्ष बजट के रेवेन्यू रिसीट्स ७७ करोड़ १५ लाख की आशा की जाती है, यानी १९५३–५४ का मुकाबला करने का परिणाम यह होगा कि इस वर्ष ३ करोड़ ६१ लाख की रकम की अधिक आमदनी होने की उम्मीद की जाती है। यह रेवेन्यू रिसीट्स का सिलसिला है। इसी के साथ-साथ हमें रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर भी देखना आवश्यक है क्योंकि सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि जितनी आमदनी हो उसी के अन्दर एक्सपेन्डीचर रहे। जैसा कि सदन के सदस्यों को मालूम है कि इसमें कैपिटल एक्सपेन्डीचर शामिल नहीं किये जाते हैं। इसमें देखना यह है कि १९५२–५३ में जहां ६४ करोड़ ८२ लाख रुपये की आमदनी हुई, वहां ७३ करोड़ ५४ लाख रुपये का अन्दाजा किया जाता है। ८१ करोड़ ६ लाख रुपये का खर्चा होगा, यानी इस वर्ष रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर ७ करोड़ ५२ लाख बढ़ गया। इससे पहली बात जो उत्पन्न होती है, वह यह है कि हालांकि हमारे प्रदेश की रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ी है किन्तु यह दुख की बात है कि रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर इस से दुगनी रफ्तार से बढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर ३ करोड़ ६१ लाख से बढ़ गया और अब ७ करोड़ ५२ लाख रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर बढ़ गया है।

---

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं किया गया।

[महाराजकुमार [बालेन्दुशाह]

अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् मैं जरा कैपिटल एक्सपेंडीचर की भी चर्चा करना चाहूंगा । कैपिटल एक्सपेंडीचर भी इस साल ११,९५ लाख से बढ़ा है । उसके साथ हमारा पब्लिक इनडेटेडनेस का प्रश्न भी देखना आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि सदन के सदस्य सभी जानते है पब्लिक इनडेटेडनेस को ही बढ़ा कर अधिकतर कैपिटल एक्सपेंडीचर किया जाता है । यानी जब आप कोई बड़ा कैपिटल का काम, जैसे कोई डैम बनाया जा रहा हो, या कोई ऐसा बड़ा काम हाथ में लिया जा रहा हो तो उसके लिए सरकार की अधिकतर नीति यह होती है कि पब्लिक से पैसा लेकर उस पर इनवेस्ट कर दिया जाता है । अब अगर हम पेज ९२ देखें तो १९५४--५५ में १,२६,९७ लाख रुपये की पब्लिक इनडेटेडनेस की जा रही है और यह आशा की जाती है कि इस बजट वर्ष के अन्त तक २६,१५,९० हजार तक अदा कर दिया जायगा और जिसका फल यह होगा कि १९५५ के ३१ मार्च में कुल १,९५,५० लाख तक रह जायगा । इन आंकड़ों की चर्चा मैंने विशेषकर इस कारण से करना आवश्यक समझा था क्योंकि इन्हीं की जांच से मैंने जो पहले मुख्य प्रश्न उपस्थित किया था उसका जवाब दिया जा सकता है । प्रश्न यह है कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता पर सरकार कोई चोट पहुंचा रही है या नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में साफ-साफ कह दिया कि हमारा खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हमें बहुत खर्च बरदाश्त करना पड़ रहा है ।

जहां तक पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, सब मानेंगे कि यदि उस पर खर्च किया जा रहा है तो उस पर कोई विशेष आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या यह एक सही बात है कि जिस योजना के खर्च के सम्बन्ध में हमें कुछ पता नहीं कि इस प्रदेश की कितनी लागत होगी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने अभी तक कोई भी ऐसा बजट या हिसाब नहीं पेश किया गया, न जनता ही के सामने पेश किया गया है जिस से यह बताया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार या जनता अपनी पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी रकम लगायेगी और यदि लगायेगी तो वह रकम कहां से आयेगी । इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम यह न समझ लें कि पंचवर्षीय योजना के लिये पैसा कहां से आ रहा है और जब तक हमें इस बात का आश्वासन नहीं दिया जाता कि सरकार के पास इतनी रकम है तब तक हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भय प्रकट किया है । उन्होंने कहा कि यदि सरकार कोई नया कर न लगायेगी जब तक पंचवर्षीय योजना के पूरी सफलतापूर्वक कार्यान्वित होने में कोई बाधा या अड़चन न हो जाय । इसलिये इस बजट का किसी भी दृष्टि से देखना व्यर्थ है । विशेषकर हमको यह देखना है कि क्या वह आश्वासन जो माननीय वित्त मंत्री ने दिया कि नये कर न लगाये जायेंगे, वह हल्का आश्वासन है या उसमें कोई महत्व है ।

जहां तक मैंने इस बजट के आंकड़ों को पढ़ा, अपनी कमजोरी को अवश्य प्रकट करूंगा कि जिस बजट को वित्त मंत्री एक वर्ष में भी ठीक समय पर उपस्थित न कर पाये उसको डेढ़ दिन में कुछ अधिक नहीं समझ पाया, किन्तु यह उस से अवश्य प्रतीत होता है कि पंचवर्षीय योजना एक ऐसी वस्तु बन गयी जिसके आधार पर यह अपना बजट बनाया जा रहा है। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि पंचवर्षीय योजना मुख्य बजट है जिसके ऊपर और जिस के कारण इस बजट की गलतियों को जस्टिफाई किया जाता है और जोकि अदलबदल करके हमेशा पेश किया जाता है, या इस प्रदेश का मूल-बजट विशेष चीज है जिसके ऊपर पंचवर्षीय योजना निर्भर है । मैं जानता हूं कि हमारी पंचवर्षीय योजना एक बहुत बड़ी योजना है, जिसको शायद उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं पूरा न कर पाती, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बारम्बार मदद मांगी जाती है । केवल सेंट्रल

गवर्नमेंट ही नहीं किन्तु यह शुबहा सबको है कि विदेशी सरकारों से भी पैसे के रूप में न हो तो मुफ्त आदमियों की मदद के रूप में सहायता ली जा रही है। मैं उसके सम्बन्ध में कोई चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता। मेरा केवल इतना कहना है कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं और जिस रफ्तार से हमारे वित्त मंत्री रिजर्व फंड से पैसा निकाल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले तीन सालों से रेवेन्यू रिजर्व फंड से पैसा निकाल कर बहुत अनुचित बात की है, केवल अनुचित ही नहीं इस प्रदेश की आर्थिक स्थिरता में एक भयानक बात है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि जब कभी वह पब्लिक से लोन लेते हैं या और किसी प्रकार लाइबिलिटी इनकर करते हैं तो साथ-साथ एक बड़ी चतुरता के साथ वह एक सिंकिंग फंड खोल देते हैं। वह एक बहुत अच्छा उपाय है किन्तु पूछूंगा कि इस सिंकिंग फंड में कहां से पैसा डाला जा रहा है। आप सिंकिंग फंड में रिजर्व फंड से ही लेकर डाल रहे हैं। एक तरफ रिजर्व फंड कम हो रहा है और दूसरी तरफ सिंकिंग फंड में उससे लेकर डाल रहे हैं। यह आपकी कोई सेविंग तो है नहीं। इसलिए माननीय वित्त मंत्री ने जो अन्त में कहा कि इस प्रदेश की आर्थिक दशा बिल्कुल संतोषजनक है यह सन्देह की बात है। मैं आशा करता हूं कि मैं इस बात में गलत हूं क्योंकि अगर यह बात गलत निकली तो देश का इसमें लाभ है। मगर यह कोई ऐसी साधारण सी बात नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठकर कह दें कि हमारी आर्थिक दशा ठीक है और हम उसको वैसे ही मान लें। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में और कुछ वर्ष तक के बजटों के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना की चर्चा करना आवश्यक सा हो जाता है। लगभग हरएक पृष्ठ में पंचवर्षीय योजना का कुछ न कुछ जिक्र किया गया है। जहां तक पंचवर्षीय योजना के उचित होने या अनुचित होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कह सकता हूं कि शायद मैं या कोई और सदस्य व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता है कि इसमें उन्नति का बटवारा हुआ है वह ठीक रूप से नहीं हुआ है। यानी एक जिले में ज्यादा हो गया है और दूसरे में बिल्कुल नहीं। शायद पंचवर्षीय योजना के खिलाफ यह एक शिकायत की जा सकती है। मगर जहां तक पंचवर्षीय योजना से लाभ पहुंचने का सवाल है मैं भी मानने को तैयार हूं कि यदि और यह एक बहुत बड़ा "यदि" है कि यह पंचवर्षीय योजना सफलता-पूर्वक खत्म हुयी तो चाहे मेरे जिले को या किसी दूसरे जिले को लाभ पहुंचे या न पहुंचे देश को लाभ अवश्य होगा। परन्तु प्रश्न फिर वही आता है कि क्या यह पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक और बिना जनता के ऊपर अधिक टैक्स लगाये हुये और बिना नये टैक्स लगाये हुए, पूरी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि यह याद रखते हुए कि हालांकि हमारी रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ रही हैं मगर चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर भी बढ़ रहा है और हमारी वर्तमान इन्डेटेडनेस घटी है तो यह आशा करना कि जनता से बहुत पैसा मिल सकता है यह असम्भव सा है और जहां तक कि केन्द्रीय सरकार से सहायता की बात है हालांकि हमारे वित्त मंत्री का वहां बहुत अधिक प्रभाव दीखता है जिसक द्वारा उन्होंने गत वर्ष काफी पैसा खींच लिया परन्तु उसी पर निर्भर रहना बहुत बड़ी गलती होगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं पूंछता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कहां से पैसा लायेगी।

जब अखबारों में इस पंचवर्षीय योजना की चर्चा होती है तो यह प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष ही किसी एक विदेश के हाथ न बिक जाय। हालांकि यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के सामने आता है परन्तु जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है मैं इस सरकार से यही कहूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दे। हालांकि फेडरेटेड स्टेट है लेकिन यहां की सरकार और केन्द्र की सरकार एक ही पार्टी की है और जिस बात को हम यहां न कह पायें उसे हमारे मंत्री महोदय वहां पर कह सकते हैं। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि उन्नति के नाम पर, वह देश को किसी विदेश के हाथ न बेच दें। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार इस सिलसिले में बहुत ध्यान रखती है और वह कभी न चाहेगी कि एक विदेश से स्वतंत्रता प्राप्त करके किसी दूसरे विदेश के हाथ बिक जाय किन्तु

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

यह एक ऐसी बात है और विशेषकर इस सम्बन्ध में डर यह लगता है कि आजकल किसी कारण एक आप्टिजम का बहुत प्रभाव हो गया है। हमारे मंत्री महोदय चाहे उनके हृदय में जो कुछ बीत रहा हो किन्तु बाहर आम जनता को दिखलाने के लिए हमेशा एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर रखते हैं और हमेशा यही दिखाते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बातें सन्तोष जनक हैं, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे वित्त मंत्री ने इस समय भी बजट के भाषण में कहा कि हालांकि छुपे हुए शब्दों में कहा कि टैक्स लगाना तो उसी शर्त पर होगा और उसी शर्त की जांच करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इकानामी का सवाल है, बजट के समय हमेशा कहा जाता है कि सरकार को अपने खर्चों में कमी करनी चाहिये। मुझे याद है कि पहले वर्ष मैंने और विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने भी इस बात की चर्चा की थी कि सरकारी ओवरहेड बहुत भारी है। उसमें कमी करने की गुन्जाइश है। उसमें कमी की जाय। मुझे यह भी याद है कि पिछले वर्ष किसी मंत्री महोदय ने इस सुझाव का यही उत्तर दिया था कि सरकार स्वयं इच्छुक है और जहां तक सम्भव था उन्होंने "था" शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने पहले ही किफायत कर ली है। माननीय मुख्य मंत्री जी के डिरेक्टिव के पश्चात् ढाई करोड़ रुपयें की इकानामी हुई यह खुशी की बात हैं किन्तु साथ ही साथ फिर उस कम्प्लीसेंसी का सवाल आता है जो कि हमारे अधिकतर मंत्रीगण दिखाते हैं। जब कभी भी उनका किसी बात की तरफ ध्यान दिलाया जाता है तो खुले दिमाग से कोई बात सुनी नहीं जाती। विरोधी दल या किसी दल की तरफ से कोई सुझाव आये तो फौरन उसको रद्द करने की कोशिश की जाती है जो कि एक अनुचित सी कार्यवाही है। उपाध्यक्ष महोदय, अधिक कहने का समय भी नहीं विशेषकर इसलिए कि हमारे नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातों का जिक्र कर दिया है और हर एक अनुदान में कुछ न कुछ कह ही दिया। हालांकि मैं उनकी सब बातों से सहमत न भी होऊं फिर भी इस सम्बन्ध में हरएक अनुदान के डीटेल में कहना आवश्यक सी बात नहीं है। अन्त में सरकार से मैं फिर यही प्रार्थना करूंगा कि वह उस पुरानी मिसाल 'कार्ट बिफोर दी हार्स' को न दुहराये। पंचवर्षीय योजना इस प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और योजना बन गयी है। यदि यह सफल होती है तो यह निःसंदेह बात है कि भारतवर्ष में बहुत उन्नति होगी। किन्तु मुझे दुख और भय है कि यह एक प्रकार से डेसपरेट और फाइनल एफर्ट के तौर पर इस योजना को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि समय से पहले ही यह योजना पूरी कर दी जायगी। निःसन्देह पूरी कर दी जायगी, मगर किन हालात में? इसलिये यह आवश्यक है कि इस योजना के बारे में सरकार जनता को यह समझावे कि इसे पूरा करने के लिये वह आर्थिक दृष्टिकोण से क्या कर रही है। किस प्रकार वह इस योजना को पूरा करने के लिये पैसे की उम्मीद करती है। साथ ही साथ मेरा विचार यह है कि और यह ओपिन टू करैक्शन है, क्योंकि यह योजना अपने महत्व की एक ही चीज बन गयी है इसलिये आइन्दा के बजट में इस योजना का एक आग्जीलियेरी बजट, जिस प्रकार कि सेंटर में रेलवे का होता है पेश किया जाय ताकि हम यह देख सकें कि इस योजना में कितनी प्रगति हुयी और किस प्रकार से पैसा लगाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस सुझाव पर ध्यान देंगे और यदि यह सम्भव है तो मैं इसे वापस लेने को तैयार हूं। किन्तु जब सेंटर में यह प्रथा सी है और उसके नेट रिजल्ट को मूल बजट में लाया जाता है तो यहां भी पंचवर्षीय योजना के नेट रिजल्ट को मूल बजट में लिया जा सकता है। इन दोनों का इंटररिलेशन दिखाना आवश्यक होगा।

माननीय राजनारायण जी ने इस बजट को एक स्टेट्स क्यों कह कर इसका वर्णन किया। मैं उनसे सहमत होता यदि वह इसका वर्णन एक फूलहार्डी बजट कहकर करते क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार उस सिद्धांत का उल्लंघन करती है कि कट योर कोट

एकार्डिंग टु दी मैटीरियल । इसलिये मैं अन्त में माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहूंगा कि मेरी उनके साथ पूरी सद्भावना है और मैं भी यही चाहूंगा कि जो उन्होंने इस प्रकार का गैम्बिल ले लिया है कि या तो हमारी पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाय तो ठीक है और यदि नहीं होती तो फिर फिक्र नहीं, चाहे जो भी हो। यह एक अजीब सी भावना है। योजना का विचार तो अच्छा है किन्तु यह विचार कि या तो हमारा बेड़ा पार है या नैया डूब जायगी, यह गलत बात है। हम इस बजट को एक आप्टिमिस्टिक का बजट कहेंगे और आप्टिमिस्टिक की परिभाषा वोल्टेयर के शब्दों में यह है जो कि मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहूंगा क्योंकि उसका अनुवाद करना जरा कठिन है (Optimism is a magnet of maintaining that everything is right when it may be wrong.) इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को होलेकलीज का एक वाक्य सुनाना चाहता हूं जो यह है——

"He who would walk sainly amid the opposing parallels in the art of life always needs a little optimism but he also needs a little passimism"

इस विचार को ध्यान में रखने की मैं माननीय वित्त मंत्री और वर्तमान सरकार से प्रार्थना करता हूं।

* श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने वास्तविक कल्याणकारी राज्य का बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अपने लम्बे भाषण में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए जो बजट के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किये हैं उसको देखने और पढ़ने से जरा भी सन्देह नहीं रह जाता कि बजट किस कदर हमारे राज्य की जनता को आगे बढ़ाने वाला है। मुझे आज इस बात का लाभ जरूर हुआ कि विरोधी दल के माननीय नेता और महाराजकुमार बालेन्दुशाह का भाषण सुनने का अवसर मिला। विरोधी दल की तरफ से यह कहा गया कि यह यथास्थिति बजट है यानी यह बजट जहां हम हैं वहीं पर रखता है। मुझे यह सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ जब कि हम बजट में देखते हैं कि किस कदर हम हर विभाग में आगे बढ़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कल्याणकारी राज्य के लिये पुराने समय में एक स्टैन्डर्ड बतलाया गया है। वास्तविक कल्याणकारी राज्य और जो राजा प्रजा की भलाई की बात सोचता है उसकी उपमा सूर्य से दी गयी है। कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य जनता के कल्याण के लिये, खेतों को हरा भरा रखने के लिये समुद्र से पानी उठाता है उसी प्रकार राजा कर वसूल न करे अगर टेक्स न ले तो जिस तरह से समुद्र में चारों तरफ से पानी बह बह कर आता है और उसे सूर्य न उठावे तो वह पानी बह कर समुद्र की सीमा को तोड़ सकता है, इसलिये जनता के कल्याण के लिये पानी उठाना आवश्यक है ताकि वहां से पानी उठा कर मैदानों में जाय और वहां जनता के लाभार्थ खर्च किया जाय, इसीलिए कल्याणकारी राज्य की उपमा सूर्य से दी गयी है। तो आखिर यह विषमता कैसे दूर हो, यह दूषित वातावरण कैसे दूर हो ? यह पैमाना जो कल्याणकारी राज्य का बतलाया गया है वह बजट को देखने से साबित हो जाता है। और माननीय नेता विरोधी दल ने जो बजट के बारे में डिक्लेरेशन किया है वह एकदम गलत साबित हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समाज के कल्याण के लिये हमारी सरकार ने जो कुछ किया है वह बजट में साफ साफ दिखलायी पड़ता है। शिक्षा के ही क्षेत्र को लेलें, इस तरफ भी हम कई कदम आगे बढ़े हैं। समाज के कल्याण के लिये तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं भोजन यानी खाना, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा के सम्बन्ध में ही हम नहीं बल्कि जो हालत आज है उससे बहुत ही आगे बढ़े हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि पहले जितने शिक्षार्थी थे उससे उनकी तादाद आज बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने वास्तविक कदम उठाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। सन् १९३७ में पहली बार कांग्रेस सरकार कायम

* भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं किया गया।

[श्री राधामोहन सिंह]

हुयी और कांग्रेस शासन ने खाना, कपड़ा और मकान की समस्या को हल करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन तीन चार वर्षों के अन्दर कपड़े के उत्पादन में सवा गुनी और डेढ़गुनी वृद्धि हो गयी है। हमें इस बात की ही प्रसन्नता नहीं है कि हमने अपनी कमी की पूर्ति की है बल्कि हमें इस बात का भी गर्व है कि हम दुनिया के अन्य देशों को भी आज कपड़ा भेज रहे हैं। इसलिये जहां तक कपड़े का सवाल है हम बहुत काफी आगे बढ़े हैं। जहां तक हमारे राज्य का सवाल है हमारे राज्य का भी इसमें हाथ रहा है।

दूसरी बात है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के भी आंकड़ों को अगर हम देखें तो हमने स्वास्थ्य की तरफ भी काफी प्रगति की है। हम हर साल अस्पताल खोलते जाते हैं और इस साल भी देहातों में अस्पताल खोलने जा रहे हैं और इस साल २२ अस्पताल खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा इंडीजिनस सिस्टम के भी अस्पताल खोले जा रहे हैं। टी० बी० और अन्य संक्रामक रोगों के निवारण के लिये भी हमने मोबाइल यूनिट्स कायम किये हैं और जहां भी इन बीमारियों का अटैक होता है वहां यह यूनिट्स काम कर रही हैं। तो इस तरह से हमने इस दिशा में भी काफी प्रगति की है।

शिक्षा के सम्बन्ध में तो उसमें भी हमने काफी उन्नति की है। हमारे यहां डेण्टलसरजरी का कालेज खोला गया है और एक्सरे के लिये भी कई जगहों पर काफी रकम दी गयी है।

यह सब बातें ऐसी हैं जो कल्याणकारी राज्य के लिये आवश्यक होती हैं और मैं यह कहता हूं कि यह किसी भी मामले में किसी और राज्य से पीछे नहीं है।

तीसरी बात है मकानों की। आप देखेंगे कि तात्कालिक सहायता के रूप में कानपुर में और लखनऊ में भी मजदूरों के लिये जो मजदूर बस्तियां हैं और जो एक ऐसाइलम सी बनी हुयी थीं उनको ठीक करने में हम काफी आगे बढ़े हैं। हजारों की तादाद में मजदूरों के लिये मकान बनवाये गये। चीनी मिल के मजदूरों के लिये भी मकान बनवाये गये और बन रहे हैं। जहां तक शरणार्थियों का सवाल है उनके लिये भी मकान काफी बड़ी संख्या में बनवाये गये हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इसके लिये बहुत बड़ा कदम सरकार ने मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये मकान बनवाकर के उठाया है। उनके लिये मकान बनवाये जा रहे हैं और उसके लिये इस बजट में भी काफी गुंजायश है। तो जहां तक मजदूरों का, भंगियों का और शरणार्थियों का सम्बन्ध है, सरकारी कर्मचारियों की बात है और मध्यम वर्ग के लोगों का सवाल है काफी हद तक यह समस्या कम हो गयी है। यह तो मैं नहीं कहता कि आज हमारी सब आवश्यकतायें पूरी हो गयी हैं लेकिन यह भी ठीक है कि हम हर दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। मैं यह सवाल करता हूं कि क्या यह बजट ऐसा है जिसको यह कहा जा सकता है कि इसमें कोई प्रगति नहीं है। सब विभागों ने कपड़े, स्वास्थ्य और मकान आदि में प्रगति की ओर कदम उठाये हैं।

जहां तक खाने का सवाल है हमारे राज्य के लिये ही नहीं बल्कि सारे राष्ट्र के लिये यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। गत तीन चार वर्षों में करोड़ों एकड़ भूमि जोत के अन्दर लाई गयी है। और मैं विरोधी दल के नेता को दावत दूंगा कि अगर वह आंखें खोल कर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि लाखों एकड़ जमीन जोत के अन्दर लाई गयी है और बड़े पैमाने पर उन पर और और जमीनों पर ट्यूबवेल्स और और साधनों से जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है। क्या यह सब नगण्य है? मैं यह दावे से कहता हूं कि इन तमाम प्रयासों का और कार्यों का एक ही फल है कि आज हमारा राज्य खाद्यान्न के मामले में पूर्ण स्वतंत्र नहीं तो कम से कम आगे बढ़ा है और मुझे विश्वास है कि चन्द सालों के अन्दर हम इस मसले को पूरी तरह से हल कर सकेंगे और कम से कम इस राज्य को दूसरे राज्यों का मुंह नहीं ताकना

पड़ेगा। इस समस्या पर पारसाल के बजट में बहुत व्यापक तरीके से कहा गया था और सरकार ने बीड़ा उठाया था कि एक साल में जहां तक मुमकिन होगा अधिक से अधिक रुपया सिंचाई पर खर्च किया जायेगा और उसका नतीजा यह होगा कि एक साल के अन्दर इस सम्बन्ध में हम पूर्ण स्वावलम्बी हो जायेंगे। आपने देखा कि गत तीन चार वर्ष पूर्व जब कि यहां विदेशी सरकार थी और कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर नहीं थी यहां ग्रो मोर फूड के लिये काफी रुपया खर्च किया गया था। लेकिन जब से शासन की बागडोर हमारे हाथों में आयी हमने जनता के वास्तविक कल्याण के लिए और जनता के विचारों को पूरा करने की कोशिश की। तीन चार वर्षों के अन्दर ये समस्यायें पूरी होती दिखाई पड़ती हैं अगर आप देखें तो इस बजट के अन्दर और भी बिजली घरों और ट्यूबवलों के बनाने का प्रयत्न किया गया है जिससे यह साफ है कि चंद सालों के अंदर और पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते हम उस स्थान पर पहुंच जायेंगे जहां हमें कोई कठिनाई नहीं रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो पांच हमारी बुनियादी मांगे हैं और जो हमारी पांच बुनियादी आवश्यकतायें हैं, उनकी तरफ हमने काफी ध्यान दिया है और इस बजट के अन्दर इसका काफी सामन्जस्य किया गया है। इन कमियों को पूरा करके जनता के वास्तविक हित करने की ओर हमने कदम उठाया है। इसके अलावा और भी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं जिससे यह साबित होगा कि यह जो बजट है वह प्रगतिशील और जनता का बजट है। इस बजट के अन्दर पंचवर्षीय योजना का एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया है। बालेन्दुशाह जी ने कहा कि अगर हमें उसमें सफलता होती तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों को अगर कोई सन्देह है तो उसे हम दूर कर देंगे। हम तो यह कहते हैं कि बजट में चाहे कुछ भी न हो, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी बिना कोई टैक्स लगाये हुए पंचवर्षीय योजना को पूरा करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए यह सदन उनका आभारी है। वास्तव में राज्य के लिए सिवा कर्ज लेने के और रास्ता नहीं हो सकता जहां से कि उसकी आमदनी बढ़े। लेकिन हम तो यह कहना चाहते हैं कि हम जनता की गरीबी का खयाल रखते हुए और जनता की हालत को देखते हुए यथाशक्ति उस पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं। जब तक कि हम जनता की माली हालत को आगे न बढ़ावें तब तक हमको जनता से टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। अगर वास्तव में पंचवर्षीय योजना चलायी गयी और इसमें दिक्कत पड़ी तो हमें मजबूर होकर टैक्स लेना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आमदनी के तरीके हो सकते हैं वह सब सरकार ने अपनाये हैं। उसने अपने खर्चे के अन्दर भारी कमी की है, कर्जे से आमदनी बढ़ायी गयी, और कर भी लेने की व्यवस्था है। इसके अलावा मुझे नहीं मालूम होता कि बालेन्दुशाह जी को इसमें क्या एतराज है। आपने बताया है कि जो तरीका इस बजट के अन्दर पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अख्तियार किया गया है वह खतरे का है और उससे दुर्घटना हो सकती है। मुझे नहीं मालूम कि इन तीन चार तरीकों के अलावा कि हम टैक्स लें, कर्ज लें या खर्चे को कम करें या संघ सरकार से ऋण लें, और क्या तरीका आमदनी बढ़ाने का हो सकता है। हमने इन सभी तरीकों को अपनाया है। हम यह समझते हैं कि जब तक हम टैक्स नहीं लेंगे हम कोई काम नहीं कर सकते लेकिन हम इन्तजार कर रहे हैं और हमने बड़ी बड़ी योजनायें चालू कर दी हैं जिससे जनता की वास्तविक आमदनी बढ़ेगी। तब हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है और हम टैक्स भी और ले सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं समझता हूं कि टैक्स के सम्बन्ध में जो नीति बनायी गयी है, वह वास्तविक और सराहनीय है। आप देखेंगे कि इस बजट के अन्दर ८९ करोड़ ८५ लाख रुपये तो पूंजी व्यय कर चुके हैं और ६२ करोड़ रुपया सिर्फ पंचवर्षीय योजना पर खर्च कर चुके हैं। इसके अलावा इस बजट के अन्दर इस साल करीब ३१ करोड़ १६ लाख रुपया इस पर खर्च करने जा रहे हैं बिना कोई टैक्स लिए हुये। अगर अहम बजट को देखें तो और भी इसमें बहुत से उन्नति के काम हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी सरकार जो जनता की न हो वह इतनी बड़ी रकम राज्य के कल्याण के लिए खर्च करेगी

[श्री राधामोहन सिंह]

और टैक्स की बात नहीं सोचेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक और बड़ी योजना का जिक्र करना चाहता हूं और उसके लिये अपनी सरकार को और माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, वह रिहंड डैम की स्कीम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिहंड डैम में बिजली इतनी कम कीमत पर पैदा होगी कि इतनी कम कीमत पर बिजली कहीं पैदा नहीं हुयी। अगर यह योजना हमारी सरकार ने पहले ले ली होती तो आज हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ गया होता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यही नहीं कि यह एक राष्ट्रीय योजना है बल्कि यह योजना हर तरह से महफूज भी है। आज दामोदर वैली, हीरा कुण्ड, भाखरा, नंगल की स्कीमों की बात कही जाती है। लेकिन मैं यह कहने को तैयार हूं कि ईश्वर न करे कि हमारे देश को लड़ाई में भिड़ना पड़े, लेकिन अगर ऐसा मौका आ जाय तो यह और जितनी बड़ी बड़ी स्कीमें डैम्स की हैं वे खतरे में पड़ सकती हैं, लेकिन यह रिहंड डैम की योजना ऐसी है कि यह पहाड़ों के अन्दर है और बाहर की कोई भी शक्ति इस पर हमला नहीं कर सकती है और यह योजना इतनी बड़ी है कि अढ़ाई लाख किलोवाट बिजली यह पैदा करेगी। इसके साथ साथ अगर हीरा कुण्ड, दामोदर वैली, मुहम्मदपुर आदि की स्कीमें फेल कर जायं, तो रिहंड डैम से दिल्ली, बम्बई, मद्रास और रांची तक बिजली भेजी जा सकती है। इस लिये रिहंड डैम की योजना को लेकर के सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस बजट के अन्दर और कुछ न होता, केवल यही एक बात होती, तब भी वह सरकार के लिये बहुत सराहना की बात थी। इससे बहुत से जिलों को बिजली मिलेगी। मैं यह बातें इस लिये कह रहा हूं कि यह कहा गया है कि यह जनता का बजट नहीं है।

माननीय विरोधी दल के नेता ने पुलिस बजट पर बहुत एतराज किया कि पुलिस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है। पुलिस पर ७ करोड़ १८ लाख के बजाय ७ करोड़ २१ लाख रखा गया है यानी ३ लाख रुपया बढ़ाया गया है। केवल पुलिस को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिये इतना रुपया बढ़ाया गया है। कोई उससे पुलिस की ताकत को नहीं बढ़ाया गया है और अगर हम पुलिस की ताकत भी बढ़ाते तो वह कोई एतराज की बात नहीं थी। हमारे माननीय नेता विरोधी दल को यह खतरा है कि जब देश में क्रांति होगी तब पुलिस काम में लायी जायगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि लाल टोपी वाले जो उधर बैठे हैं उनमें क्रांतिकारी कौन है। हम तो अहिंसक क्रांति करते आये हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस अहिंसक क्रांति के जरिये से हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत्म किया, जिस अहिंसक क्रांति के जरिये से हमने राजा महाराजाओं को खत्म किया, जिस अहिंसक क्रांति के जरिये से हमने जमींदारों को खत्म किया, उसी क्रांति के जरिये से हम जनता की गरीबी को और जनता के दुख को दूर करेंगे और इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस लिये मैं यह कहता हूं कि जो क्रांति हम कर रहे हैं वह क्रमशः आगे बढ़ रही है। आप यहीं बैठे रहेंगे और हम क्रांति करके जनता को आगे बढ़ा देंगे।

आज हमें बहुत बातें कहना थीं लेकिन समय नहीं है। इसलिये मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हमें बहुत खुशी है कि बेरोजगारी की पहले पहल इस बजट में व्याख्या की गयी है। उसमें एक बात यह कही गयी है कि बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करने के लिये जल्दी कदम बढ़ाया जाय और यह ऐसी समस्या है जिस को जल्दी से जल्दी हल किया जाय। मैं आज इस पर विशेष नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि पढ़े लिखों की बेरोजगारी की समस्या अगर हल नहीं की जायगी तो यह सरकार के लिये बड़े खतरे की बात होगी।

*श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह दिखलाने का प्रयत्न करूंगा बहुत थोड़े समय में कि यह जो बजट उपस्थित किया गया है यह किसी

---

*भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं किया गया।

तरह से कल्याणकारी नहीं है। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह दर्पण होना चाहिये तो मैं उसी दर्पण को दिखलाने की कोशिश करूंगा। सन् १९५२-५३ में टोटल रेवेन्यू रेसीट...

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—एक श्लोक पढ़ दीजिये, आप तो श्लोक से शुरू करते थे।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा—अच्छी बात है, अभी पढ़ दूंगा गोकि मैं दो तीन मर्तबा से श्लोक नहीं पढ़ता हूं, फारसी और उर्दू के अशार सुनाता हूं परन्तु अगर आपकी इच्छा है तो मैं श्लोक पढ़ दूंगा।

तो मैं कह रहा था कि सन् ५२-५३ में टोटल रेवेन्यू रेसीट ६०,९९,४०,५०० रुपये थी और ५३-५४ में ७७,१५,८४,४०० थी। अब इसमें यह देखा जायगा कि पुलिस के मद में ५३-५४ में ७ करोड़ ११ लाख रुपया था और अब ७ करोड़ २१ लाख है। इसी तरह आन एकाउन्ट आफ कमिश्नर ऐंड डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन २,५९,००,००० था और अब २ करोड़ ७३ लाख है। अब जिनकी ओर ज्यादा कोशिश करनी चाहिये उनकी क्या हालत है। शिक्षा में ५२-५३ में ८ करोड़ ११ लाख कुछ हजार था और अब ९,४७,५१,००० है। यानी पहले जब हमारी आमदनी ६० करोड़ थी उसमें साढ़े सातवां हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था और ७७ करोड़ में ९ करोड़ है यानी साढ़े आठवां हिस्सा से भी कम। तो मैं क्या इसको कल्याणकारी बजट कहूंगा। इसी तरह से मेडिकल में पहले २,३६,२४,१०० रुपये थे और अब २,६५,२३,१०० रुपये हैं। तो उस समय तो साढ़े २५ वां हिस्सा था और अब साढ़े २९वां हिस्सा है। यह मेडिकल की हालत है। मेडिकल के अन्दर आप देखेंगे कि एलोपैथिक को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है कि ७०,७५ रुपये एलोपैथिक पर खर्च किये जा रहे हैं और १६,१७,१७० रुपये इंडिजिनस मैडिसिन्स पर खर्च किया जा रहा है। अबकी ८१,६१,६०० रुपये एलोपैथिक पर और १८,३६,२०० रुपये इंडिजिनस पर खर्च होगा। यह जाहिर है कि हमारे देश में एलोपैथिक सिस्टम कुछ ज्यादा लाभदायक नहीं है। वह इंग्लैन्ड वगैरह में जो ठंडे मुल्क हैं वहां फायदेमंद होगा। यानी कहते हैं कि परमात्मा ने जड़ी बूटियां हमारे रोगों की चिकित्सा के लिये बनायी हैं। तो इन जड़ी बूटियों के द्वारा जो दवा इंग्लैण्ड वगैरह में बनती हैं उनके लिये हमारे मुल्क में यह हालत नहीं है कि उनका प्रयोग किया जाय। यहां तो स्वतंत्रता के बाद हिकमत या वैदिक को ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मुझको याद है कि सन् १९५१ में डाक्टर एन०एल० सिन्हा जो कानपुर के हैं उनको सरकार की ओर से एक कोढ़ी दिया गया था इलाज करने के लिये जिसका ६ साल तक एलोपैथिक इलाज हुआ था और वह अच्छा नहीं हुआ था। उन्होंने उसे अच्छा कर दिया था और आपही के डाक्टरों की रिपोर्ट उनके माफिक थी और फिर उन्होंने सत्याग्रह किया और सरकार ने वादा किया था कि हम तुमको और केसेज देंगे और मदद देंगे परन्तु आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। तो मैं यह कहता हूं कि होमियोपैथिक के बारे में भी बड़े बड़े डाक्टर कहते हैं कि यह भारतीय चिकित्सा है। जिस इलाज मे कम खर्च हो और ज्यादा लोग अच्छे हों उसको सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहूंगा कि कोआपरेटिव का जो मुहकमा है यह गणराज्य की बुनियाद है। परन्तु इस पर सन् ५२-५३ में सिर्फ ७१,९२,६०० रुपये रखे गये थे और जब ७७ करोड़ आमदनी होगी तो केवल ६२,२०,५०० रुपये रखे गये हैं। यानी उस समय ८५ ८/९ वां हिस्सा अपनी आमदनी का हम सहकारिता पर खर्च करते थे और अबकी साल १२४ ३/७ वां हिस्सा सहकारिता पर खर्च करेंगे। अब सहकारिता के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी की स्पीच १२ वृष्ठ पर है जिस पर उन्होंने लिखा है कि उन पर पिछले वर्ष १२ से लेकर १५ फीसदी सूद लिया जाता था लेकिन अब वह घटाकर ९ फीसदी कर दिया गया है और ३० हजार गांवों में सहकारी समितियां स्थापित हैं और अगले वर्ष में २०

[श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा]

हजार स्थापित कर दी जायंगी। उनके द्वारा यह सब कार्य हो रहे हैं जैसे बीज गोदाम स्थापित करना, अच्छा बीज बढ़ाने तथा खाद और औजार बांटने का काम कर रही हैं। इस समय समितियां बनाये हुये बीज गोदाम ६,००० हैं। बीज गोदाम बनाने का कार्य एक योजना द्वारा हो रहा है जिससे अगले वर्षों में २०० बीज गोदाम बन सकेंगे। ये समितियां नलकूप भी बनाती हैं जिनके बनाने में सरकार की ओर से वित्तीय सहायता भी दी जाती है। चालू वर्ष में २३५ नलकूप बनाये जा चुके हैं और अगले वर्ष में ३१५ और बनाये जायेंगे। इसके अलावा आपने यह भी कहा है कि ईंटों का भट्ठा भी यह समितियां लगाती हैं जिससे ईंटों के दाम कम हो गये यानी ३५ रुपये हजार से घटकर २२ रुपये हजार पर आगये हैं। इस तरह से अब तक ५१० भट्ठे लग चुके हैं।

यह मैं कहूंगा कि इतनी तारीफ इन सहकारी समितियों की हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं की है। हालांकि सहकारिता गणराज्य की जड़ है। गणराज्य की जड़ वांक्या पंचायत राज स्थापित करने में नहीं है बल्कि सहकारिता है। इसकी विशेषता बहुत ज्यादा है। इसकी विशेषता कहने के लिये समय नहीं है लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इसकी खास चीज यह है कि एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। अगर किसी के १०० हिस्से हैं और किसी का एक ही हिस्सा है तो दोनों का वोट एक ही है। इस तरह से सहकारिता हमारे मुल्क के लिये बहुत लाभदायक चीज है मगर जैसा मैंने आपको दिखाया कि हमारी आमदनी का ८५ ८/९—१९५२-५३ में था और अब १२४ ३/७ हिस्सा कर दिया गया है। यह कितने दुख की बात है एक कल्याणकारी राज्य के लिये। अब यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में पहले १९५२-५३ में २ करोड़ ६१ लाख ४४ हजार था और अब वह २ करोड़ ७३ लाख ९१ हजार हो गया है। इस तरह से तो वैलफेयर स्टेट नहीं कही जा सकती है और जो रकम रखी है उसके खर्च करने का कोई तरीका ठीक नहीं है।

अब देखिये शिक्षा में क्या कर दिया जाता है। पारसाल एक कांस्ट्रक्टिव एल०टी० का प्रोग्राम रखा गया और एक इंस्टीट्यूशन कायम कर दिया गया अभी गुप्ताजी मुझे मथुरा में मिले थे उन्होंने बतलाया कि वह इंस्टीट्यूशन तो इसलिये कायम किया गया था कि कुछ लोगों की परवरिश की जाय और यह भी बतलाया किन किन को मुकर्रर किया गया। २५ लड़के पास हुये जिनमें १० लड़कों को केवल सरकारी नौकरी मिल सकी। बाकी १५ लड़के इधर-उधर भेज दिये गये या अपने आप वह नौकरी ढूंढें, यह हालत है। खास तौर से कंस्ट्रक्टिव स्कूल खोल दिया गया और जो पास हुये वह बेकार इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं टीका टिप्पणी न करूं और आपकी हां में हां मिलाऊं। मैंने तो वैसे ही तय कर लिया है और बहुत कम मैं सदन में आता हूं। छः दिन में एक दिन आजाता हूं क्योंकि झूठ लिखना मैं नहीं चाहता हूं। और आप लोगों के लिए तो हमारे नेतादल ने दो खुली छुट्टियां दी हैं। एक तो यह है कि जब जरूरत हो हाथ उठा दीजिये या हां में हां मिला दीजिये, और दूसरे यह कि जब कोई विरोधी दल का कोई सदस्य कोई अच्छी से अच्छी बात खड़े हो कर कहना चाहे तो हंसी उड़ा दीजिये। ऐसे ही आदमियों को हमारे नेतागण ने अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिये बुलाया ही है। क्षमा करेंगे, आप लोगों को और कोई सोचने या मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—आन ए-वाइंट आफ आर्डर सर। क्या कोई माननीय सदस्य इस माननीय सदन पर इस तरह का लांछन लगा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—वह अपना विचार प्रकट कर रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय सदस्य ने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है। उन्होंने यही कहा है कि उधर के सब लोग हां में हां मिलाते रहते हैं, हाथ उठाते रहते हैं और यदि कहा तो वह तथ्य है और ठीक बात है।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन एक बात मैं जरा कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को मेरे द्वारा सब बातें कहनी चाहिये। सीधे-सीधे नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ला-ब्रेकर तो हमारे शिवनारायण जी हैं और उनके सहयोगी कुछ मंत्रीगण हैं कि जिन्होंने यह ला ब्रेक किया। ला में हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह से कोई ला ब्रेक करे तो उसके चेक करने के लिए कुछ बचाव की सूरत अख्तियार करनी चाहिये और इसी लिए मैंने भी ला ब्रेक किया जिसके लिए क्षमा चाहता हूं अगर मैंने आपकी आज्ञा का विरोध किया।

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय सदस्य कितना समय लेना चाहते हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा—मैं कल नहीं, अभी समाप्त करता हूं।

(इसके बाद सदन ७ बजे सायंकाल अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाशनाथ भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२९ फरवरी, १९५४।

सी० एस० डू० सी० ए० सी०—१४१ एस० ए०—१९५४—८५०।